FOR REF[...]NCE ONLY

सत्यमेव जयते

बिहार सरकार

प्रतिवेदन

1981-82

-5412
370.6
BIH-P

शिक्षा विभाग

जन सम्पर्क
शिक्षा विभाग, बिहार
FOR REFER

विषय-सूची

	पृष्ठ
1. प्रारंभिक शिक्षा	1--7
2. माध्यमिक शिक्षा	8--14
3. उच्च शिक्षा	15--17
4. शिक्षक शिक्षा	18--21
5. छात्रवृत्ति	22--30
6. वयस्क शिक्षा	31--37
7. छात्र एवं युवा कल्याण	38--40
8. कला एवं संस्कृति	41--43
9. एन० सी० सी०	44
10. पुरातत्व एवं संग्रहालय	45-46
11. शिक्षा विभाग का प्रशासनिक तंत्र	47--51
12. प्रकीर्ण--	
(क) पुस्तकालय सेवा	52--54
(ख) छात्रों को रियायती मूल्य पर पाठ्य-पुस्तक एवं अभ्यास पुस्तिकाओं की आपूर्ति।	55--57
(ग) बिहार राज्य पाठ्य-पुस्तक प्रकाशन निगम	58-59
(घ) बिहार माध्यमिक परीक्षा समिति	60-61

- 5412
370.6
BIH- P

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurbindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. D-1039 1039
Date 16/3/

बिहार में शिक्षा की एक झलक, 1981-82

बिहार का क्षेत्रफल 1.74 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो देश के क्षेत्रफल का 5.30 प्रतिशत है। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का नवां स्थान है। क्षेत्रफल में देश का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश (4.43 लाख वर्ग किलोमीटर) है, जिसका क्षेत्रफल देश के पूरे क्षेत्रफल का 13.51 प्रतिशत तथा त्रिपुरा सबसे छोटा राज्य है (10,000 वर्ग किलोमीटर), जिसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का मात्र 0.30 प्रतिशत है।

जनसंख्या की दृष्टि से बिहार देश का दूसरा बड़ा राज्य है। बिहार की जन-संख्या जो 1951 में 3 करोड़ 88 लाख थी, वह बढ़कर 1971 में 5 करोड़ 64 लाख हो गयी एवं 1981 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर 6.98 करोड़ हो गयी है, जो देश की जनसंख्या का 10.21 प्रतिशत है।

यद्यपि गत पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान शैक्षिक सुविधाओं का काफी विस्तार हुआ है, तथापि जन-संख्या की इस विस्फोटक वृद्धि के कारण वे अभी भी अपर्याप्त हैं। वर्त्तमान सरकार ने जब से शासन सम्भाला है, तब से विकास की प्रमुख योजनाएँ तीव्रतर की गई हैं और कई एक नई योजनाएँ लागू की गई हैं, जो हरिजन, आदिवासियों एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों को विशेष रूप से लाभान्वित करेंगी। वर्ष 1981-82 में योजना बजट से 3,063.16 लाख की राशि सामान्य शिक्षा प्रक्षेत्र की परियोजनओं के लिए, 26.54 लाख की राशि कला एवं संस्कृति की परियोजनाओं के लिए एवं 85.00 लाख की राशि पोषाहार के लिए स्वीकृत की गई। गैर-योजना बजट में इस वर्ष 277-सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत 22,221.02 लाख एवं 278-कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत 37.33 लाख का प्रावधान किया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में 1981-82 वर्ष में हुई प्रगति का संक्षिप्त परिचय आगे दिया जा रहा है।

1. प्रारम्भिक शिक्षा।

1981-82 वर्ष में बिहार राज्य में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 50,871 एवं मध्य विद्यालयों की संख्या 10,935 थी। राज्य की विभिन्न संस्थाओं के वर्ष 1 से 5 में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं की संख्या क्रमश: 16.35 लाख एवं 19.07 लाख थी। वर्ग 6—8 में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं की संख्या क्रमश: 9.36 लाख थी। प्रारम्भिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की संख्या क्रमश: 1,59,153 एवं 29,702 थी।

आलोच्य वर्ष 1979-80 में स्वीकृत 12,000 ईकाइयों पर शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में कारवाई की गयी। 1980-81 में 3,000 विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति का भी आदेश दिया गया, जिनमें आधे बी० एस-सी० प्रशिक्षित वेतनमान में एवं शेष आधे आई० एस-सी० प्रशिक्षित वेतनमान में रहेंगे। प्रारम्भिक विद्यालयों में वित्तीय वर्ष 1981-82 में गैर-जनजाति एवं जाति क्षेत्रों में शिक्षण सामग्री एवं उपस्करों की आपूर्त्ति हेतु क्रमश: 22 लाख एवं 6 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी।

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में निम्नांकित योजनाओं के कार्यान्वियन पर बल दिया गया :—

(1) प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीकरण।
(2) न-औपचारिक शिक्षा।
(3) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के लिए उपस्थिति प्रेरक-भत्ता।
(4) समाजोपयोगी उत्पादन कार्य।

इनके अतिरिक्त पहले से चली आ रही योजनाएँ भी आलोच्य वर्ष में चालू रहीं, जो निम्नांकित हैं :—

(1) आश्रम विद्यालयों की स्थापना।
(2) नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तकों की आपूर्त्ति।
(3) छात्राओं के लिए नि:शुल्क पोशाक की आपूर्त्ति।
(4) पोषाहार योजना।
(5) बुक बैंक की स्थापना।

प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण—

प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण राज्य के लिए एक प्रमुख समस्या है। योजना आयोग द्वारा गठित शिक्षा एवं संस्कृतिक कार्यकारी दल (अगस्त 1980) ने अपने प्रतिवेदन में यह अनुशंसा की थी कि शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 9 राज्यों में (जिसमें बिहार भी है), 6—11 आयु वर्ग के 95 प्रतिशत एवं 11—14 आयु वर्ग के 50 प्रतिशत बच्चों को छठी योजना के अन्त तक विद्यालयों में

नामांकित किया जाए। राज्य सरकार ने अपनी छठी योजना के प्रारुप में 6—11 आयु वर्ग के 16.32 लाख बच्चों (4.38 लाख लड़के एवं 11.94 लाख लड़कियां) तथा 11–14 आयु वर्ग के 16.86 लाख बच्चों (9.23 लाख लड़के एवं 7.63 लाख लड़कियां) के नामांकव का लक्ष्य प्रस्तावित किया था, ताकि 6—11 आयु वर्ग के 92.5 प्रतिशत बच्चे तथा 11.14 आयु वर्ग के 58.5 प्रतिशत बच्चे 1984-85 तक विद्यालयों में प्रवेश पा जायं। इस प्रकार सम्मिलित आयु वर्ग 6—14 में 1984-85 के अन्त में 80 प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 1980-81 एवं 1981-82 की योजना की रूपरेखा पर विचार-विमर्श करने हेतु योजना आयोग द्वारा गठित कार्यकारी दल ने (दिसम्बर 1980) में प्रस्तावित उद्व्यय में भारी कटौती करते हुए यह मत व्यक्त किया था कि 11-14 आयु वर्ग के लिए प्रस्तावित लक्ष्य 11.86 लाख से घटाकर 5.00 लाख कर दिया जाय। पहले तो राज्य सरकार ने यह चाहा कि इस लक्ष्य में कटौती न की जाय और इसके लिए विशेष प्रयत्न किए जायं ताकि बिहार जो प्रार्थमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के मामले में अत्यन्त पिछड़ा है कुछ आगे बढ़ सके पर निकटतम विश्लेषण के बाद, आर्थिक एवं सामाजिक कठिनाइयां पूर्व की प्रगति तथा वर्त्तमान प्रशासनिक एवं पर्यवेक्षण व्यवस्था के आलोक में पूर्व में प्रस्तावित 16.86 लाख के अतिरिक्त नामांकन लक्ष्य को रखना संभव न हो सका है, और राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 11–14 आयु वर्ग के लिए अतिरिक्त नामांकन का लक्ष्य 5.00 लाख ही रखा जाय, जैसा कि कार्यकारी दल ने सुझाव दिया है। 16—11 आयु वर्ग के लिए 16.32 लाख एवं 11–14 आयु वर्ग के लिए 5.00 लाख के अतिरिक्त नामांकन के लक्ष्य की प्राप्ति होने पर राज्य में 6—11 आयु वर्ग के 92.5 प्रतिशत बच्चे एवं 11–14 आयु वर्ग के 35.5 प्रतिशत बच्चे विद्यालयों में 1984-85 के अन्त तक प्रविष्ट हो सकेंगे। सम्मिलित आयु वर्ग 6—14 के इस प्रकार नामांकन का प्रतिशत 71 प्रतिशत होगा। 1980-81 में औपबंधित आंकड़ों के अनुसार 6—11 आयु वर्ग के 77.45 प्रतिशत एवं 11–14 आयु वर्ग के 29.2 प्रतिशत बच्चे विद्यालयों में प्रविष्ट थे 16–11 आयु वर्ग में यह प्रस्तावित 60.12 था।

अनौपचारिक शिक्षा—

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशा में अकेले औपचारिक शिक्षा से नामांकन के लक्ष्य की पूर्त्ति में कठिनाई हो रही है। साथ-साथ औपचारिक विद्यालय जैसे बच्चे-बच्चियों के शिक्षा का समाधान नहीं कर पा रहे हैं जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के पहले ही विद्यालय छोड़ दिया है। अत: अनौपचारिक शिक्षा को छठी योजना काल में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण का एक प्रमुख अंग बनाया गया है। अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत 6–14 आयु वर्ग के उन बच्चे-बच्चियों को शिक्षित करने की व्यवस्था है जो या तो विद्यालयों में प्रवेश ही नहीं पाए हों, अथवा प्रवेश पाने के बाद विद्यालय छोड़ने के लिए बाध्य हुए हों। इन वर्गों के बच्चे-बच्चियों के सुविधानुसार शिक्षण के स्थान के चयन

एवं समयसारिणी इत्यादि को लचकदार व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 1981-82 में राज्य योजना में 60.73 लाख एवं केन्द्र योजना में 76.11 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसमें 2,960 केन्द्र खोले गए हैं। इसके पूर्व के वर्ष यानि 1980-81 में 2,800 केन्द्र खोले गए हैं। प्रत्येक केन्द्र पर 35 छात्र-छात्राओं की पढ़ने की व्यवस्था है। इस प्रकार कुल 5,760 केन्द्रों में लगभग दो लाख छात्र।छात्राओं का नामांकन का प्रावधान किया जा चुका है।

आवासीय मध्य विद्यालय—

राज्य सरकार के द्वारा 1981-82 में पूर्व से राजकीयकरण 92 मध्य विद्यालयों की आवासीय मध्य विद्यालय के रूप में परिणत किया गया है।

समाजोपयोगी उत्पादन कार्य—

स्थानीय कच्चा माल एवं प्रचलित हस्तकार्य से लाभ उठाकर बच्चों के प्रशिक्षण के लिए यह योजना तैयार की गई है। ऐसे व्यवसाय एवं कार्यों का प्राथमिक चुनाव किया जा रहा है। कोशी क्षेत्र में जुट का चाट तैयार करने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु निर्देश दिया गया है जिससे चाट तैयार होने पर ये बच्चों के बैठने के काम आए। इस कार्य में 80 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। ऐसे स्कुलों में वर्कशेड बनाए जा रहे हैं एवं औजार की आपूर्त्ति की जा रही है। 1981-82 वर्ष में इस योजना पर 6 लाख रुपए व्यय किए गए।

आश्रम विद्यालयों की स्थापना—

आलोच्य वर्ष में 18 आश्रम विद्यालयों की स्थापना का अवधि-विस्तार किया तथा वर्ग 4–5 में पढ़ने वाले सभी हरिजन एवं आदिवासी छात्र।छात्राओं को लिया गया। उन विद्यालयों में से 16 विद्यालय जनजाति क्षेत्र में अवस्थित हैं। छात्रावास, भोजन, स्वास्थ्य, और शौचालय आदि के लिए राशि की भी समुचित व्यवस्था की गयी।

निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों की आपूर्त्ति—

इस मद में कुल 180.87 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई। 1981-82 में वर्ग 1 से 3 तक के सभी छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें दी गयीं। इस योजना से कुल 50.00 लाख छात्र छात्राएँ लाभान्वित हुए।

छात्राओं के लिए मुफ्त पोशाक की आपूर्त्ति—

इस योजना के लिए कुल 26 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई जिससे कमजोर वर्ग के कुल 52 हजार छात्राएं लाभान्वित हुईं।

पोषाहार योजना--

इस योजना के लिए वर्ष 1981-82 के वित्तीय वर्ष में कुल 85.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था 197 प्रखंडों में चालू है। इससे 17.0 लाख छात्रा-छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं।

शिक्षकों के वेतनमान में सुधार--

राजकीयकृत मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों।प्रधानाध्यापिकाओं एवं राजकीय बुनियादी विद्यालय के प्रधानों के चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किया गया।

राजकीय प्रारम्भिक विद्यालयों के शिक्षकों का दिनांक 1 फरवरी 1971 से दिनांक 31 मार्च 1973 तक अन्तर वेतन की राशि स्वीकृत कर शिक्षकों के भविष्य निधि कोष में जमा करने के लिए राज्यादेश संख्या 601, दिनांक 2 मार्च 1981 तथा 820, दिनांक 24 मार्च 1981 में क्रमशः 3,52,64,268.81 तथा 2,98,43,801.64 रुपये (अर्थात् कुल 6,51,08,080.45 रुपये (छः करोड़ इक्यावन लाख आठ हजार अस्सी रुपये पैंतालिस पैसे मात्र) की स्वीकृति दी गयी। यह राशि भागलपुर, गोपालगंज, संथाल परगना, दुमका, साहेबगंज, समस्तीपुर, सहरसा, नवादा, हजारीबाग, कटिहार, सिवान, दरभंगा, गया, गिरीडीह, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद मधुबनी, धनबाद, पटना और भोजपुर जिलों के 54,642 शिक्षकों के लिए स्वीकृत की गई।

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण कार्य--

अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष 1981 में शिक्षक और लिपिक पद पर विकलांगों की नियुक्ति तथा शिक्षक प्रशिक्षण चर्या में उन्हें अधिक सुविधा देने के लिए राज्यादेश संख्या 318, दिनांक 5 फरवरी, 1981 निर्गत किया गया तथा इसके व्यापक प्रचार के लिए विज्ञप्ति प्रसारित की गई। वित्तीय वर्ष 1981-82 में कुल 1,038 विकलांगों की नियुक्ति की गई है।

बिहार के गैर-सरकारी प्रारम्भिक विद्यालय (नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम, 1976 की धारा 6 में किए गए प्रावधान के आलोक में राज्य के सभी जिलों में प्रारम्भिक विद्यालयों की स्थापना, उत्क्रमण, सुधार तथा प्रारंभिक शिक्षा संबंधी योजना तैयार करने के लिए जिला प्रारम्भिक शिक्षा समिति का गठन अधिसूचना संख्या 322, दिनाक 5 फरवरी 1981 में किया गया।

प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के भवनों का निर्माण ––

1981-82 में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के लिए स्वीकृत राशि एवं निर्धारित भौतिक लक्ष्य निम्नवत हैं :––

परियोजना का नाम	गैर-जनजाति।		जनजाति क्षेत्र।	
	स्वीकृत राशि।	भौतिक लक्ष्य।	स्वीकृत राशि	भौतिक लक्ष्य।
1	2	3	4	5
1. प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण एवं अधूरे वर्ग भवनों को पूरा करना––सामान्य योजना।	112 लाख	..	30 लाख	..
2. सह-शिक्षण मध्य विद्यालय में शिक्षिका गृह, मनोरंजन गृह एवं शौंचालय गृह का निर्माण।	14 लाख 260 लाख (शौचालय)	.. ..	12 लाख 260 लाख (शौचालय)	.. ..
3. उप-योजना मद की बचत से जनजाति क्षेत्रों, विद्यालय भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धारा।	..	..	नया निर्माण 232 1,87,34,000 जीर्णोद्धार 725।	
4. बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में ध्वस्त विद्यालयों की मरम्मती।	1,71,00,000	..	21 बाढ़ग्रस्त जिलों में ध्वस्त भवनों की मरम्मति।	..

कुछ चयनित शहरी क्षेत्रों में विद्यालय भवन निर्माण की विशेष योजना--

1980-81 के वित्तीय वर्ष के अंतिम क्षणों से योजना की बचत राशि से गैर-जनजाति क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्र के निम्नांकित शहरी क्षेत्रों में पक्के वर्ग भवनों के निर्माण के लिए निम्नांकित रूप से ईकाइयां स्वीकृत की गयी थीं :—

(1)	पटना ..	361	(2)	मुजफ्फरपुर	74
(3)	भागलपुर ..	174	(4)	दरभंगा ..	80
(5)	मधुबनी ..	38	(6)	सहरसा ..	72
(7)	राँची ..	130	(8)	चाईबासा ..	200
			(9)	दुमका ..	127
				कुल ..	1,268 नये वर्ग कमरे

चूंकि राशि वित्तीय वर्ष के अंतिम क्षणों में स्वीकृत की गई थी, अतः उस वित्तीय वर्ष में कार्य पूरा नहीं हो सका। इस वर्ष जून माह तक सारे कार्य पूरे हो जायेंगे। शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में जोरदार अभियान चलाये जा रहे हैं।

1980-81 में विशेष योजनान्तर्गत नये विद्यालय भवन निर्माण एवं अधूरे वर्ग भवनों को पूरा करना--

विगत वर्ष में गैर-जनजाति क्षेत्रों में 4 नये वर्ग भवनों के निर्माण एवं 4 अधूरे वर्ग भवनों को दो वर्षों में पूरा करने की योजना हाथ में ली गयी थी। इस प्रकार समूचे छोटानागपुर एवं संथाल परगना में पड़ने वाले प्रत्येक प्रखंड में आठ नये वर्ग भवनों का निर्माण एवं आठ अधूरे वर्ग भवनों को पूरा करने की योजना स्वीकृत की गयी थी। 1980-81 में इस कार्य के लिए 5 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी थी। परन्तु 1981-82 में समुचित राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण मात्र 112 लाख गैर-जनजाति क्षेत्रों में तथा 30 लाख जनजाति क्षेत्रों में 1981-82 में स्वीकृत किये गये। सर्वेक्षण से पता चलता है कि राशि के अनुरूप कार्य जून तक पूरे हो जायेंगे। इस संबंध में जोरदार अभियान शिक्षा विभाग द्वारा चलाया जा रहा है।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी--

आधुनिक युग में दूर-संचार के माध्यम से शिक्षा में गुणात्मक विकास एवं शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है। भारत सरकार ने शिक्षा विभाग के अधीन

1974-75 में ही एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी कोषांग की स्थापना की थी और पांच वर्षों तक उसका व्यय-भार वहन किया था। बाद में राज्य सरकार स्वयं व्यय-भार वहन कर रही है। यह कोषांग रेडियो प्रसारण तथा दूरदर्शन प्रसारण के कार्यों तथा अन्य सुदूर प्रशिक्षण के कार्यों का सम्पादन करता है। वत्तमान में रेडियो प्रसारण की सुविधा राज्य में उपलब्ध है जिसके माध्यम से प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा के छात्रों के लिए आकाशवाणी एवं शिक्षा प्रौद्योगिकी कोषांग के सौजन्य से शैक्षिक प्रसारण हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर से शैक्षिक दूरदर्शन प्रसारण भी सीमित क्षेत्रों में किया जा रहा है। इस वर्ष भारत सरकार ने अपना भू-उपग्रह इन्सेट-1 अन्तरिक्ष में अवस्थीत किया है जिसके माध्यम से समूचे देश में शैक्षिक टेलीवीजन प्रसारण की सुविधा उपलब्ध होगी। भारत सरकार ने तत्काल बिहार राज्य को भी यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चुन लिया है तथा एक उत्पादन केन्द्र की स्थापना करने के संबंध में भी वचन दे रखी है। यह शैक्षिक उत्पादन शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होगा। तत्काल तीन जिले, यथा—राँची, सिंहभूम और पलामू को दूरदर्शन, प्रसारण की सुविधा प्रदान की गयी है। क्रमश: बाद में अन्य जिलों में भी प्रसारण की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। आशा है कि 1984 तक इस राज्य में दूरदर्शन कार्यक्रम उत्पादन केन्द्र की स्थापना भारत सरकार द्वारा कर दी जायेगी। ऐसा होने से शिक्षा के प्रसार एवं प्रचार तथा गुणात्मक विकास पर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जायेगा। तत्काल दूर दर्शन कार्यक्रम उत्पादन केन्द्र के सम्बन्ध में अग्रिम कार्रवाई भारत सरकार के निदेशन में शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है।

2. माध्यमिक शिक्षा

राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय--

11 अगस्त 1980 को प्रख्यापित अराजकीय माध्यमिक विद्यालय प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण अध्यादेश के अनुसार 2 अक्तूबर 1980 से 2,879 विद्यालयों का राजकीयकरण हुआ। दिनांक 2 अक्तूबर 1980 के बाद 126 माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण किया गया। विद्यालयों के उन्नयन, बेहतर संघटन एवं विकास के उद्देश्य से ही इनके राजकीयकरण किया गया था। इनके अलावे भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यक विद्यालयों की संख्या राज्य में 193 है। इसके अलावे और 26 विद्यालयों को अल्पसंख्यक घोषित करने के संबंध में सरकार के समक्ष प्रस्ताव प्राप्त था जिस पर अधिकांश मामले का निपटारा हो गया है। राज्य-सरकार अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी शैक्षिक आवश्यकता के प्रति एवं अपनी संस्कृति की रक्षा करने की पूरी सुविधा दे रखी है। भाषा एवं धार्मिक पर आधारित प्रस्वीकृत अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित एवं संचालित माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय-करण सरकार द्वारा नहीं किया गया यद्यपि उनके शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्म-चारियों के वेतन का एवं विद्यालय के विकास का पूरा वित्तीय भार सरकार वहन करती है।

राज्य के करीब 210 ऐसे प्रखंड हैं जहां उच्च विद्यालयों की संख्या नगण्य है या उच्च विद्यालय हैं ही नहीं। राज्य के 587 प्रखंडों में से 435 प्रखंड ऐसे हैं जिनमें उच्च कन्या विद्यालय की स्थापना नहीं हो सकी है। अतः माध्यमिक शिक्षा का समुचित प्रचार एवं प्रसार तथा बालिका शिक्षा का प्रोत्साहन को ध्यान में रखते हुए राज्य-सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में 4 उच्च विद्यालय खोलने का निर्णय लिया जिसमें से एक विद्यालय बालिका विद्यालय होगा। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 में जनजाति क्षेत्र में 78 तथा गैर-जनजाति क्षेत्र में 72 कुल 150 माध्यमिक विद्यालय खोला गया। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 650 उच्च विद्यालय खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वर्ष 1981-82 में खोले गये उपर्युक्त 150 विद्यालयों पर 1,50,000 रु० की राशि का व्यय आंका गया एवं विभागीय पत्रांक 109, दिनांक 15 मार्च 1982 तथा पत्रांक 182, दिनांक 25 मार्च 1982 में एक करोड़ 50 लाख रु० की राशि स्वीकृत की गयी।

राज्य के प्रत्येक जिले में हरिजन।आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक-एक आवासीय उच्च विद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इस परियोजना के अन्तर्गत 19 जिले में कल्याण विभाग द्वारा स्थापित एवं संचालित आवासीय उच्च विद्यालय के अतिरिक्त अवशेष 14 जिलों में एक-एक आवासीय उच्च

विद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1981-82 में औरंगाबाद, गिरीडीह, रोहतास, दरभंगा, सीवान एवं वैशाली इन 6 जिलों में एक-एक आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। इन आवासीय विद्यालयों के लिये विभागीय पत्रांक 180 एवं 181, दिनांक 25 मार्च 1982 के द्वारा कुल 32 लाख रु० स्वीकृत किया गया।

राज्य में भारत सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा नियंत्रित किसी प्रतिष्ठान द्वारा तथा शिक्षा विभाग के अलावे राज्य के अन्य किसी विभाग द्वारा स्थापित एवं संचालित विद्यालयों की संख्या 33 है। स्वशासी माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 17 है। इन दो कोटियों के विद्यालयों का सारा वित्तीय भार विद्यालय के संघटनकर्त्ताओं तथा स्वामियों द्वारा वहन किया जाता है। इन दो कोटि के विद्यालयों का राजकीयकरण सरकार द्वारा नहीं किया गया।

अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 1981-82 में महंगाई भत्ता के अतिरिक्त किश्तों के भुगतान हेतु विभागीय आदेश संख्या 177, दिनांक 25 मार्च 1982 में कुल 1,02,82,653 रु० का अनुदान स्वीकृत किया गया है। अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को राजकीयकरण माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वेतनादि एवं अन्य वित्तीय सुविधाएं विभागीय संकल्प संख्या 179, दिनांक 22 सितम्बर 1981 के द्वारा स्वीकृत की गयी ।

राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की वेतन विषमता दूर करना—

राज्य-सरकार ने 1 अप्रैल 1978 से राजकीय बालक-बालिका विद्यालय के शिक्षकों को 415—745 रु० के वेतनमान स्वीकृत किया था एवं सेवावधि के ऊपर वेट्टेज देकर वेतन निर्धारण करने का आदेश दिया था। साथ ही संवर्ग में स्वीकृत पदों के 20 प्रतिशत पद प्रवर कोटि में सृजित करने का आदेश दिया था। राजकीय विद्यालयों की भांति राजकीयकृत उच्च विद्यालयों को इन सारी सुविधाओं को विभागीय संकल्प संख्या 1, दिनांक 4 जनवरी 1982 के द्वारा प्राप्त कराया गया ।

स्वशासी माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना—

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में नयी खोज एवं प्रयोगों को बरकरार रखना एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एवं माध्यमिक शिक्षा के स्तर को उन्नत करने तथा नयी दिशाओं में परिचालित करने के उद्देश्य से स्वशासी माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता देने के उपबंध राजकीय माध्यमिक विद्यालय प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण

विधेयक, 1981 में किया गया है। ऐसी स्वशासी विद्यालय जो आवासीय हैं तथा जिन्होंने शैक्षिक एवं अन्य सह-शैक्षिक कार्यों में उपलब्धियों का मान काफी ऊंचा रखा है उन्हें सरकार द्वारा अपने नियमों के अधीन स्वशासी विद्यालय के रूप में प्रस्वीकृति देने का प्रावधान रखा गया है।

माध्यमिक सेवा बोर्ड की स्थापना--

राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के लिए सुयोग्य प्रधानाध्यापकों एवं सहायक शिक्षकों के चयन एवं नियुक्ति के उद्देश्य से पुनर्गठित विद्यालय सेवा बोर्ड कायम किया गया। इस मद पर योजना मद से 0.55 की राशि खर्च हुई।

राजकीय विद्यालयों की भांति राजकीयकृत विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित करना।

राजकीय कृत माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया गया ताकि शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन-भुगतान, निवृत्ति, पेंशन, पारिवारिक पेंशन, उपादान आदि की स्वीकृति हेतु कार्रवाई सरल एवं शीघ्र सम्पादित हो सके। (राजकीय आदेश संख्या 1775, दिनांक 30 अगस्त 1980)।

राज्य के राजकीय एवं राजकीयकृत विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में गैर-जनजाति क्षेत्र में 32.45 लाख एवं जनजाति क्षेत्र में 9 लाख राशि खर्च की गयी। साथ ही विद्यालयों को शैक्षिक उपकरण, उपस्कर आदि देने हेतु जनजाति क्षेत्र में 1.20 लाख एवं गैर-जनजाति क्षेत्र में 4.80 लाख की स्वीकृति दी गयी। इसके अलावे बुक बैंकों की स्थापना हेतु जनजाति क्षेत्र में 10 लाख एवं गैर-जनजाति क्षेत्र में 45 लाख--कुल 55 लाख की राशि की स्वीकृति दी गयी। राजकीय एवं राजकीयकृत विद्यालयों को भवन-निर्माण हेतु जनजाति क्षेत्र में 3 लाख एवं गैर-जनजाति क्षेत्र में 46.38 लाख राशि की स्वीकृति दी गयी। इसके अलावे गैर-योजना से लघु-निर्माण, मरम्मती एवं उपस्कर आदि हेतु क्रमश: 60 लाख एवं 40 लाख की राशि स्वीकृत की गयी। योजना मद में कॉमन-रूम-सह-शौचालय के निर्माण हेतु गैर-जनजाति क्षेत्र के 5 लाख एवं जनजाति क्षेत्र में 1 लाख की स्वीकृति दी गयी है।

नेतरहाट आवासीय विद्यालय--

नेतरहाट आवासीय विद्यालय में इंटरमीडिएट स्तर की पढ़ाई जुलाई 197-4ई० में प्रारम्भ की गयी थी। इसकी वजह से छात्र संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते

हुए मार्च 1981 में 18.85 लाख रुपये के प्राक्कलित लागत पर 80 शय्याओं के छात्रावास भवन-निर्माण की योजना स्वीकृत की गयी थी और 1980-81 वित्तीय वर्ष में व्यय के लिये 3.11 लाख रुपये का आवंटन दिया गया था। उक्त छात्रावास भवन का निर्माण कार्य 1981-82 वर्ष में प्रारम्भ किया गया। 1981-82 वर्ष में उक्त निर्माण कार्य के लिये 10.00 लाख रुपये का आवंटन किया गया। उक्त भवन को पूरा करने हेतु 1982-83 वर्ष के आय-व्ययक में 5.00 लाख रुपये का उपबंध किया गया है ।

विद्यालय के चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के आवास की समस्याओं के समाधान के क्रम में 12 फ्लैट के निर्माण की योजना 3.77 लाख रुपये की लागत पर मार्च 1980 में स्वीकृत की गयी थी। स्वीकृत सम्पूर्ण राशि लोक-निर्माण विभाग के निस्तार पर आवंटित की जा चुकी है। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की कार्रवाई की गयी है। इसके अतिरिक्त 13,29,500 रु० की प्राक्कलित लागत पर 8 सह-शिक्षकों के लिये तथा 7,49,300 रुपये की प्राक्कलित लागत पर 8 तृतीय वर्गीय कर्मचारियों के लिये आवास भवनों के निर्माण की योजना भी मार्च 1981 में स्वीकृत की गयी है। इन भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के लिये 1981-82 वित्तीय वर्ष में क्रमश: 4,00,000 रु० और 2,10,000 रु० की राशि स्वीकृत की गयी है। 1982-83 वर्ष के बजट में इन भवनों के लिये क्रमश: 3,00,000 रु० और 1,78,000 रु० का उपबंध किया गया है।

विद्यालय के छात्रावासों में जलापूर्त्ति की समस्या के समाधान हेतु 1,00,600 रुपए की प्राक्कलित लागत पर एक योजना की स्वीकृति 1981-82 वित्तीय वर्ष में दी गयी है जिसके लिये 1980-81 वर्ष में 25,000 रु० का आवंटन दिया गया था। पुन: 1981-82 वर्ष में इस मद में 70,000 रु० का आवंटन दिया गया है। यह योजना सम्प्रति कार्यान्विति में है।

विद्यालय के लिये क्रय की गयी नयी बस के लिये 39,450 रु० की लागत पर एक गैराज के निर्माण की योजना भी मार्च 1981 में स्वीकृत की गयी थी जिसके लिये 1980-81 वर्ष में 9,300 रु० का आवंटन दिया गया था। पुन: 1981-82 वर्ष में 30,000 रु० का आवंटन दिया गया है । यह योजना भी निर्माणाधीन है।

नेतरहाट आवासीय विद्यालय में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रतिवर्ष 60 छात्रों के नामांकन की व्यवस्था है। इस विद्यालय की उत्कृष्टता से अधिकाधिक लाभ उठाया जा सके, इसके लिये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 60 छात्रों की जगह 100 के नामांकन का निर्णय लिया गया है। इसकी पूर्व तैयारी के लिये विद्यालय के वर्त्तमान 6 सेट छात्रावासों में परिवर्त्तन

एवं विस्तार कर कुल 168 स्थान बढ़ाने हेतु 9.87 लाख रुपये की प्राक्कलित राशि की योजनायें स्वीकृत की गई हैं जिसपर 1981-82 वित्तीय वर्ष में व्यय के लिये 6,00,000 रु० की स्वीकृति दी गयी है। इस योजना का कार्यारम्भ 1982-83 वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ होगा।

इस विद्यालय के शैक्षणिक भवन में अतिरिक्त स्थान के प्रबन्ध के लिये 1977-78 वर्ष में स्वीकृत योजना को पूरा करने के लिये 1981-82 वित्तीय वर्ष में 99,000 रु० की स्वीकृति दी गयी है।

नेतरहाट आवासीय विद्यालय में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर कुल 420 छात्र पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के आवासीय विद्यालयों की योजना के अन्तर्गत कुल 70 छात्र पढ़ते हैं। राज्य सरकार की नयी योजना के अनुसार अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 420 के स्थान पर 700 छात्र इस विद्यालय में पढ़ सकेंगे। इस तरह विद्यालय में छात्रावास वासियों की संख्या 490 से बढ़कर 770 हो जायगी।

सैनिक स्कूल, तिलैया

सैनिक स्कूल, तिलैया के स्थायी भवन के निर्माण का प्रस्ताव कुछ वर्षों से सरकार के विचाराधीन है। इस क्रम में कैन्टीन-सह-भोजनशाला के निर्माण की स्वीकृति 9,11,200 रु० प्राक्कलित राशि के लागत पर 1977-78 में दी गयी थी। इस योजना पर व्यय के लिये 1980-81 वित्तीय वर्ष में 1.50 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी। द्वितीय चरण में 1981-82 वित्तीय वर्ष में 800 छात्रों के लिये 1,02,400 रुपये की प्राक्कलित लागत पर छात्रावास भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी है जिसमें 24 छात्रावास अधीक्षक तथा 8 वार्डन के आवास की भी व्यवस्था होगी। इस निमित्त 1981-82 वर्ष में व्यय के लिये 20,00,000 रु० की स्वीकृति भी दी गयी है। इसके अतिरिक्त 135 छात्रों के आवास के लिये विभागीय प्रक्रिया द्वारा एक डोरमेट्री का निर्माण किया गया है जिसपर साज-सज्जा सहित 4.98 लाख रुपये व्यय हुए हैं। पुनः विद्यालय में जलापूर्त्ति की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु 1980-81 वर्ष में 3.88 लाख रुपये की प्राक्कलित लागत पर एक परियोजना स्वीकृत की गयी है जिसको पूरा करने हेतु 1981-82 वर्ष में 3,38,000 रु० का आवंटन किया गया है। साथ ही विद्यालय के डेयरी को सुदृढ़ करने समाजोपयोगी उत्पादक कार्य तथा सामुदायिक सेवा विषय की पढ़ाई लागू करने हेतु कर्मशालाओं के निर्माण आदि 6 छोटी-छोटी योजनाओं के निर्माण के लिये 3.35 लाख रुपये की स्वीकृति भी दी गयी है। सैनिक स्कूल, तिलैया के छात्रों के विशेष प्रशिक्षण की योजना 13,000 रु० की लागत पर 1981-82 वित्तीय वर्ष में भी जारी रखी गयी है।

संस्कृत शिक्षा एवं मदरसा--

अराजकीय संस्कृत संस्थाओं एवं मदरसों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतनमान में व्याप्त असमानताओं को दिनांक 1 अप्रील 1980 से दूर कर दिया गया है। उस क्रम में यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी प्रस्वीकृत संस्कृत संस्थाओं एवं मदरसों के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतनादि का पूर्ण भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान देय होगा और उसमें प्रस्वीकृति की तिथि का कोई बन्धन नहीं रहेगा। इस निर्णय के आधार पर 1980-81 एवं 1981-82 वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित अनुदान स्वीकृत किये गये :—

क्रमांक।	संस्था का नाम।	1980-81 वर्ष में स्वीकृत राशि।	1981-82 वर्ष में स्वीकृत राशि।
		रु०	रु०
1.	संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालय	1,82,16,645	2,28,73,347
2.	अराजकीय मदरसा ..	3,10,05,818	4,57,69,999

राज्य में पूर्व से चली आ रही संस्कृत शिक्षा के प्राचीन एवं नवीन पद्धतियों का एकीकरण किया गया है। इस क्रम में प्राचीन पद्धति से संचालित टोल विद्यालयों का एकीकरण संस्कृत महाविद्यालय एवं संस्कृत विद्यालयों के रूप में किया गया है। संस्कृत एवं मदरसा दो तरह की संस्थाओं में प्राप्त शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक विषयों की पढ़ाई की व्यवस्था की गयी है।

1981-82 वर्ष में अराजकीय मदरसों के भवन-निर्माण, उपस्कर क्रय तथा पुस्तकालयों को समृद्ध करने हेतु 3,26,300 रु० स्वीकृत किया गया है जिसमें 50,000 रु० जनजाति क्षेत्र के मदरसों के लिये है। उसी तरह संस्कृत विद्यालयों के भवन-निर्माण, उपस्कर-क्रय तथा पुस्तकालयों को सुदृढ़ करने के निमित्त 1981-82 वर्ष में 3,17,800 रु० की स्वीकृति दी गयी है जिसमें 17,800 रु० जनजाति क्षेत्र के विद्यालयों के लिये सम्मिलित है। सरकारी मदरसा इस्लामिया शमशुल होदा, पटना के भवन में विद्युतीकरण के लिये 50,000 रु० की स्वीकृति भी 1981-82 वर्ष बें दी गयी है। मदरसा संस्थाओं तथा अरबी और फारसी संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिये 14,320 रु० की स्वीकृति दी गई है। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड को 1981-82 स्थापना मद में 2,42,600 रु० की भी स्वीकृति दी गयी है। संस्कृत संस्थाओं एवं मदरसों के

शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिये अंशदायी भविष्य निधि, पेंशन एवं ग्रैच्युटी की त्रिलाभ योजना के प्रस्ताव में राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इस योजना का लाभ 1 अप्रील 1978 एवं उसके बाद सेवा-निवृत्त शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को मिल सकेगा।

बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड एवं मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन—

संस्कृत शिक्षा एवं मदरसा शिक्षा के स्तरोन्नयन एवं उन्हें निमित्त बनाने के उद्देश्य से क्रमशः बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981 एवं बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981 अधिनियमित किये गये हैं। इन बोर्डों का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। इन बोर्डों के माध्यम से संस्कृत एवं मदरसा संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को नियमित वेतन भुगतान की व्यवस्था की गयी है जिससे उनकी आर्थिक कठिनाइयां दूर हो सकें। साथ ही, इन संस्थाओं के नियमित शिक्षण एवं अधीक्षण की भी व्यवस्था की जा रही है।

3: उच्च शिक्षा

1981-82 वित्तीय वर्ष में उच्च शिक्षा के विकास के लिए एक क्रान्तिकारी वर्ष रहा है। मुख्यमंत्री की घोषणानुसार कई नए कार्यक्रम इस क्षेत्र में लिए गए हैं जिनमें से प्रमुख निम्नांकित हैं:—

(1) राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय मुख्यालयों में 100 सीट के छात्रावास लगभग 20 लाख रुपए प्रति छात्रावास की लागत पर तैयार किए जाने का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है और तद्हेतु आवश्यक राशि विश्वविद्यालयों को दे दी जा चुकी है। संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्यालय में 50 सीट के छात्रावास का निर्माण दस लाख रुपयों की लागत पर तैयार कराया जा रहा है।

इसके अलावे राज्य के 70 चुने हुए कालेजों में एक-एक लाख रुपए प्रति इकाई की लागत पर भोजन प्रशाल-सह-कैन्टिन-सह-शौचालय निर्माण का कार्य लिया गया है।

(2) विश्वविद्यालयों के केन्द्रीय पुस्तकालयों को सुदृढ़ किए जाने हेतु प्रति विश्वविद्यालय दो लाख रुपए (संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए एक लाख रुपए) की दर से दिए गए हैं जिससे इस पुस्तकालयों को सुदृढ़ किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों को 20 हजार रुपए प्रति स्नातकोत्तर विभाग दिया गया है जिससे उनके बुक बैंक को सुदृढ़ किया जा रहा है। अंगीभूत एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों को भी पांच हजार रुपए (प्रति कालेज) बुक बैंक के सुदृढ़ीकरण हेतु दिए गए हैं।

(3) स्नातकोत्तर शिक्षा के विकास हेतु सहरसा, चाईबासा, दुमका में स्नातकोत्तर केन्द्र स्थापित किए गए हैं जिनके लिए 30 लाख रुपए विगत वर्ष दिए गए हैं।

(4) सभी विश्वविद्यालयों में ललित कला संकाय की स्थापना इस वित्तीय वर्ष में की गयी है।

उपर्युक्त विशेष योजनाओं के अलावे विभिन्न विश्वविद्यालयों को सामान्य एवं ऊपर अंकित विशेष विकास योजनाओं के लिए कुल निम्नांकित राशियां दी गयी हैं :—

(*i*) विकास हेतु—

			रु०
पटना विश्वविद्यालय	..	..	44,63,700
बिहार विश्वविद्यालय	..	..	83,64,400
मिथिला विश्वविद्यालय	..	..	80,19,400
मगध विश्वविद्यालय	..	..	59,47,158
भागलपुर विश्वविद्यालय	..	..	64,34,400
रांची विश्वविद्यालय	..	..	82,86,500
संस्कृत विश्वविद्यालय	..	..	19,10,000
कुल	..	..	4,34,25,558

(*ii*) संपोषण हेतु—विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के संपोषण के लिए कुल 34,84,14,793 रुपए दिए गए हैं।

मगध विश्वविद्यालय में 12,50,000 रुपए की लागत पर एक परीक्षा भवन निर्माण की भी योजना ली गयी है जिसके लिए 1981-82 में 3,75,775 रु० तत्काल दिए गए हैं। यह राशि विकास हेतु ऊपर अंकित राशि में सम्मिलित है।

(5) 1982-83 वित्तीय वर्ष में विकास हेतु 1,34,00,000 रुपए तथा विश्वविद्यालयों के संपोषण हेतु 42,92,05,200 रुपए उपबंधित हैं। इस वर्ष हजारीबाग, छपरा, आरा एवं मोतिहारी स्थित स्नातकोत्तर केन्द्रों को नए केन्द्रों के साथ-साथ और सबल किया जायेगा। छात्र कल्याण हेतु उपर्युक्त के अलावे दो करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है।

(6) (*i*) विश्वविद्यालयों में कार्यरत् प्रयोग प्रदर्शकों को व्याख्याता के पद पर नियुक्ति की सुविधाएं उपलब्ध किए जाने हेतु परिनियमों में पुनः संशोधन

किया गया है जिसके अनुसार वैसे प्रयोग प्रदर्शक जिनकी सेवाएं 12 वर्षों की हो चुकी है और न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त है को वैयक्तिक प्रोन्नति देकर पद की व्याख्याता के रूप में संपरिवर्तित कर दिया जायेगा।

(*ii*) शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति हेतु अबतक मात्र हरिजन एवं आदिवासी अभ्यार्थियों के लिए आरक्षण की सुविधा प्राप्त थी। 1981-82 वित्तीय वर्ष में यह सुविधा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी सरकारी पदों की तरह उपलब्ध कर दी गयी है।

(7) इन्टरमीडिएट शिक्षा परिषद् की स्थापना 1980-81 वित्तीय वर्ष में ही की जा चुकी थी। परिषद् ने अब इन्टरमीडिएट स्तर के वर्गों के लिए पाठ्यक्रम निश्चित कर दिया है और अगले वर्ष से परिषद् के ही तत्वावधान में इन्टरमीडिएट परीक्षा ली जायेगी।

(8) विश्वविद्यालय अध्यादेशों में भी कई क्रान्तिकारी परिवर्त्तन लाए गए हैं। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षक राज्य एवं केन्द्रीय विधान मंडलों में सदस्य हो सकते हैं। पूर्व में वह अपने पद पर भी बने रहते थे और विधान मंडलों के सदस्य के रूप में भी कार्य करते थे जिसके कारण विश्वविद्यालयों में राजनीति का अस्वास्थ्यकर प्रवेश हो गया था। अब ऐसे सदस्यों को सदस्य बनने की तिथि से ही विशेष अवैतनिक अवकाश में समझा जायेगा। वह विश्वविद्यालय निकायों के भी सदस्य तब तक नहीं रह सकेंगे जबतक वह पुनः विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में लौट नहीं आते।

विश्वविद्यालयों में शिक्षक पदों पर नियुक्तियां विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसाओं पर पूर्व में ही की जानी थी। शिक्षकों के चयन का स्तर ऊंचा करने के लिए अब बिहार लोक-सेवा आयोग द्वारा विशेष रूप से आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों के चुनाव किए जाने की व्यवस्था की गयी है।

(9) चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण के आधार पर विश्व विद्यालय एवं महाविद्यालय के पदाधिकारियों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को भी वेतन पुनरीक्षण किए जाने का प्रस्ताव दिया जा चुका है। प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय होने तक तत्काल सरकारी कर्मचारियों की तरह शिक्षकेतर कर्मचारियों को भी 500 रु० का तदर्थ भुगतान करने का आदेश दिया गया है। पुनः उन्हें 10 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता का भी लाभ सरकारी कर्मचारियों की तरह दिया जा चुका है।

4. शिक्षक शिक्षा

शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय—

राज्य में 1980-81 की तरह गया, छपरा एवं हजारीबाग में खोले गए शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की अवधि विस्तार 1981-82 में किया गया, किन्तु उन्हें चालू नहीं किया गया। रांची महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में 1980-81 की तरह नामांकन हुए और इस प्रकार 7 प्रशिक्षण महाविद्यालय कार्य-रत रहे। इसके लिए रांची महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय में, 1,07,000 रु० की राशि स्वीकृत की गई। छपरा, गया एवं हजारीबाग में 5,97,000 रु० की राशि स्वीकृत की गई, जिसका अन्यत्र व्यय किया गया है।

देवघर एवं समस्तीपुर राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की चहारदीवारी के निर्माण के लिए 3,60,000 रु० स्वीकृत किए गए। राजकीय पुरुष शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रांची के भवन-प्रसार में 1,50,000 रुपए की स्वीकृति दी गई तथा रांची के महिला एवं पुरुष प्रशिक्षण महाविद्यालयों के जन-जाति क्षेत्र में 89,000 रु० उपस्कर एवं पुस्तकों की खरीद के लिए दिए गए।

2. अनवरत शिक्षा केन्द्र—

1981-82 में राज्य में चल रहे 19 अनवरत शिक्षा केन्द्रों के लिए 5,64,300 रुपए के सामान्य अनुदान दिए गए। ज्ञातव्य है कि समान राशि राष्ट्रीय शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् नयी दिल्ली से भी दी जाती है। सामान्य अनुदान के अतिरिक्त 19 केन्द्रों को 10,000 प्रति केन्द्र की दर से 1,90,000 रु० भी स्वीकृत किए गए। इन 19 केन्द्रों में गैर-जन जाति क्षेत्र में 8,219, और जन-जाति क्षेत्र में 886 शिक्षकों की प्रशिक्षण दिया गया।

3. युनिसेफ परियोजना—

उन्मुखीकरण विज्ञान चर्या (1981-82)—इस मद में गैर-जन जाति क्षेत्र के लिए 3,59,900 रु० तथा जन जाति क्षेत्र के लिए 1,61,700 रु० की स्वीकृति दी गयी और लगभग एक हजार शिक्षकों की प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त जिला एवं राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी, पूर्वी भारत विज्ञान केन्द्र एवं विज्ञान शिविर आयोजित किए गए।

4. प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय—

1981-82 में राज्य में चल रहे 26 महिलाओं के प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों में वृद्धि करके उनकी संख्या 28 कर दी गई। कुल 84 राजकीय

प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों में 56 पुरुषों के लिये रहे। पुरुषों में प्रति महाविद्यालय 50 छात्र एवं महिलाओं में 100 छात्राओं का नामांकन हुआ।

5. प्राथमिक प्रशिक्षण में उन्नयन--

84 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में गत वर्ष की तरह एक-एक विज्ञान शिक्षक तथा एक-एक कर्मशाला-सह-प्रयोगशाला सहायकों की सेवा-अवधि का विस्तार किया गया। इसके लिये 12,14,700 रु० की राशि स्वीकृत की गई।

6. भवन-निर्माण एवं मरम्मत--

प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों में भवन-निर्माण तथा मरम्मत के लिए गैर-जनजाति क्षेत्र में मोकामा के लिए 2 लाख रु० और जनजाति क्षेत्र में गमहरिया एवं रातू के लिए 94,000 रु० स्वीकृत किए गए।

7. उपस्कर--

उपस्कर हेतु सात प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों में गैर-जनजाति क्षेत्र में 70,000 रु० एवं जनजाति क्षेत्र में 20,000 रु० दो महाविद्यालयों के लिए अनुदान स्वीकृत किए गए।

8. राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार--

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, पटना-6 की स्थापना प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर शिक्षा में गुणात्मक विकास के उद्देश्य से की गई थी। इसने मई, 1981 से कार्य करना प्रारम्भ किया और दस महीने (मई, 1981 से मार्च, 1982) की अल्प अवधि में लक्ष्य की पूर्त्ति की दिशा में इसके द्वारा जो प्रयास किए गए, उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :--

(1) परिषद् के भाषा विभाग द्वारा माध्यमिक विद्यालयों के अंग्रेजी शिक्षकों के लिए दो चतुर्मासीय प्रशिक्षण सत्र चलाए गए, हिन्दी में सामान्य भूलों के विश्लेषण पर एक गोष्ठी आयोजित की गई, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के तत्वावधान में अखिल भारतीय स्तर पर एक संस्कृत गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न राज्य के 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया तथा द्वितीय भारतीय भाषा के रूप में तेलगू शिक्षण के लिए क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, मैसूर के व्याख्याता श्री सत्यनारायण मूर्ति के मार्ग-दर्शन में तेलगू पाठ्यक्रम की रूप-रेखा तैयार की गयी।

(2) विज्ञान तथा गणित शिक्षण के स्तर को ऊंचा करने के लिये विज्ञान तथा गणित विभाग द्वारा अनेक राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वानों के मार्ग-दर्शन में प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए ग्यारह, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों के व्याख्याताओं के लिए एक तथा विज्ञान पर्यवेक्षकों के लिए दो गोष्ठियां आयोजित की गई। कुछ गोष्ठियों का आयोजन अनवरत शिक्षा योजना के अन्तर्गत भी किया गया। छात्र/छात्राओं में चिन्तन तथा सृजनात्मकता के विकास के लिए राज्य स्तर पर एक विज्ञान संगोष्ठी तथा एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिनमें पुरस्कार भी वितरित किए गए।

(3) समाजशास्त्र, मानविकी एवं समाजोपयोगी उत्पादक कार्य विभाग द्वारा शिक्षक प्रशिक्षकों तथा विद्यालयों के शिक्षकों की गोष्ठी आयोजित की गई जिसमें समाजोपयोगी उत्पादक कार्य को प्रभावी बनाने के लिए कुछ निर्णय लिए गए। इसके अतिरिक्त सहरसा, नवादा, मुंगेर तथा पलामू जिला के अधिकारियों की एक चार दिवसीय प्रशिक्षण चर्या आयोजित की गई जिसमें 64 अधिकारियों ने भाग लिया।

(4) शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जिला स्कूल के शिक्षकों को प्रक्षेपी संचालन में प्रशिक्षित किया गया।

(5) अध्यापक शिक्षा, शैक्षिक प्रशासन तथा प्रसार सेवा विभाग द्वारा राज्य में अनवरत शिक्षा तथा प्रसार सेवा केन्द्रों को सुचारु रूप से चलाने के लिए समायोजकों की गोष्ठी आयोजित की गई, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों के छमाही सत्र का पाठ्यक्रम संशोधित किया गया तथा माध्यमिक विद्यालयों के वर्त्तमान पाठ्यक्रम के बोझिलपन को दूर करने के लिये गोष्ठी आयोजित की गई।

(6) सार्वजनिक प्राथमिक तथा अनौपचारिक शिक्षा विभाग द्वारा राज्य में चल रहे विभिन्न प्रकार के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के कार्यों का अध्ययन तथा मूल्यांकन किया जा रहा है।

(7) शैक्षिक शोध निर्देशन, मूल्यांकन एवं परीक्षा सुधार विभाग द्वारा बोकारो स्टील सिटी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के सहयोग से मूल्यांकन एवं परीक्षा सुधार संबंधी एक कर्मशाला का आयोजन किया गया। इस विभाग द्वारा बालिका शिक्षा पिछड़ापन तथा जनसंख्या शिक्षा परियोजना का भी संचालन किया जा रहा है।

(8) केन्द्रीय विभाग की प्रकाशन शाखा द्वारा एक छमाही पत्रिका 'आलोक' तथा त्रैमासिक पत्रिका 'परिषद् समाचार' का प्रकाशन किया गया।

(9) परियोजनाएं—निम्नलिखित परियोजनाएं परिषद् द्वारा पूर्व से ही संचालित की जा रही है:—(क) प्राथमिक शिक्षा शिक्षाक्रम नवीनीकरण (युनिसेफ सहायता प्राप्त परियोजना-2), (ख) सामुदायिक शिक्षा के विकासात्मक कार्य तथा समुदाय को प्रतिभागिता (युनिसेफ सहायता प्राप्त परियोजना-3) तथा केप (युनिसेफ सहायता प्राप्त परियोजना-5)। इसमें हमारी प्रगति संतोषजनक रही है। कुछ नई परियोजनाएं भी इस वर्ष ली गई हैं—(क) बाल शिक्षा (युनिसेफ सहायता प्राप्त परियोजना-4) तथा विकलांग शिक्षा परियोजना। इनके अतिरिक्त एक अन्य परियोजना पोषाहार स्वास्थ्य एवं परिवेश की स्वच्छता परिषद् की देख-रेख में सीतामढ़ी जिला के पिपराहा प्रखंड में चलाने का निर्णय लिया गया है जिसके समायोजक महंथ दर्शन दास महिला कालेज के गृह विज्ञान विभाग की अध्यक्षता में होगी।

(10) कुछ अन्य कार्य भी परिषद् द्वारा किए जा रहे हैं, जैसे—(क) बिहार में विद्यालय स्तर की भाषा एवं इतिहास की पुस्तकों को राष्ट्रीय भावनात्मक एकता के दृष्टिकोण से समीक्षा, (ख) इनसैट दूर-दर्शन उपयोगिता परियोजना के कार्यान्वियन के लिए प्रयास, (ग) बिहार में विद्यालय सत्र तथा अवकाश तालिका में परिवर्त्तन (घ) विद्यालयों में नैतिक शिक्षा के स्वरूप के संबंध में विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त सुझावों पर विचार, आदि।

9. शिक्षण में उन्नयन—

शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में गणित के क्षेत्र में प्रशिक्षण के उन्नयन में गत वर्ष की तरह एक-एक गणित व्याख्याता के पदों का अवधि विस्तार 28 फरवरी 1982 तक किया गया।

10. केप परियोजना—

राज्य के 40 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों में के-परियोजना के अन्तर्गत शिक्षण-सामग्री तैयार की गई और शिक्षकों का प्रशिक्षण दिया गया। यह सामग्री राज्य में अनौपचारिक क्षेत्र में लागू करने के लिये समेकित एवं सुदृढ़ की जा रही है।

5. छात्रवृत्ति के क्षेत्र में उपलब्धियां

राज्य सरकार की यह स्पष्ट नीति रही है कि मेधावी एवं निर्धन छात्र/छात्राओं को उनके अध्ययन हेतु यथासंभव अधिक-से-अधिक प्रोत्साहन दिया जाय। अस्तु, ऐसे मेधावी एवं निर्धन छात्र/छात्राओं को अन्य सुविधा देने के साथ-साथ आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार एवं राज्य-सरकार द्वारा कई प्रकार की छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। शिक्षा विभाग द्वारा मेधावी एवं निर्धन छात्र/छात्राओं को प्राथमिक स्तर से लेकर पी० एच० डी० स्तर तक छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। छात्रवृत्ति की स्वीकृति केन्द्र सरकार एवं राज्य-सरकार दोनों द्वारा की जाती है। परन्तु छात्रवृत्ति के मद में होने वाले सम्पूर्ण खर्च का अधिकांश व्यय-भार राज्य-सरकार को ही वहन करना पड़ता है।

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा मेधावी एवं निर्धन छात्र/छात्राओं को निम्नांकित प्रकार की छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं—

1. केन्द्र सरकार की छात्रवृत्तियां

(1) **राष्ट्रीय छात्रवृत्ति**—यह योजना इस राज्य में 1961-62 से लागू है। इस योजना के अन्तर्गत माध्यमिक स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर एवं व्यवसायिक चर्या में अध्ययन करने वाले छात्र/छात्राओं को 60 रु० प्रतिमाह से लेकर 170 रु० प्रतिमाह तक की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। 1981-82 वर्ष में इस योजना से करीब 6,245 छात्र/छात्रा लाभान्वित हुए हैं। इसमें केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों का अंशदान है। वित्तीय वर्ष 1981-82 में कुल 1,02,52,400 रु० का व्यय हुआ है। सप्तम वित्तीय आयोग की अनुशंसा के आधार पर 53,06,000 रु० राज्य सरकार का अंशदान और शेष 49,46,400 रु० केन्द्र सरकार का अंशदान है।

(2) **शिक्षक संतान छात्रवृत्ति**—इस योजना के अन्तर्गत प्रस्वीकृत प्राथमिक विद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के बच्चों को माध्यमिक परीक्षा के आधार पर उत्तर माध्यमिक स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर एवं टेक-निकल स्तर (इंजीनियरिंग एवं एम० बी०, बी० एस०) तक 50 रु० प्रति माह से लेकर 125 रु० प्रतिमाह तक दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत छात्र/छात्रा के अभिभावक की वार्षिक आय-सीमा 6,000 रु० तक है। इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष 53 नवीन (फ्रेश) छात्रवृत्ति दी जाती है और पूर्व में जिन छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है उनका नवीकरण स्वीकृत किया गया है। वित्तीय वर्ष 1981-82 वर्ष में 2,12,000 रु० व्यय हुआ है। सप्तम वित्तीय आयोग की अनुशंसा के आधार पर संपूर्ण व्यय राज्य-सरकार वचनबद्ध व्यय के रूप में गैर-योजना मद से वहन कर रही है। वित्तीय वर्ष 1981-82 में करीब 318 छात्र/छात्रा लाभान्वित हुए हैं।

(3) **राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति**---यह योजना इस राज्य में 1963-64 वर्ष से लागू है। इस योजना के अन्तर्गत मेधावी एवं निर्धन छात्र/छात्राओं को अध्ययन जारी रखने हेतु ऋण के रूप में छात्रवृत्ति दी जाती है। केन्द्र सरकार ने बीच में कुछ वर्ष के लिए बन्द कर दिया था। पुन: 1979-80 वर्ष से केन्द्र सरकार ने चालू किया है। 1981-82 वर्ष में करीब 4,000 छात्र/छात्रा लाभान्वित हुए हैं। वित्तीय वर्ष 1981-82 में 40 लाख रुपये ऋण के रूप में राज्य-सरकार को प्राप्त हुए हैं। यह छात्रवृत्ति जिन छात्र/छात्राओं को दी जाती है उनके अध्ययन समाप्ति के 2 वर्ष बाद या नोकरी लगने के एक वर्ष बाद, जो इसके पहले पड़े, उनसे किस्त के रूप में वसूल की जाती है और उसे पुन: दूसरे छात्रों को देने का प्रावधान है।

(4) **राष्ट्रीय ग्रामीण छात्रवृत्ति**---यह योजना इस राज्य में 1971-72 वर्ष से लागू है। यह छात्रवृत्ति ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभासंपन्न बच्चों को माध्यमिक स्तर पर दी जाती है। प्रत्येक समुदायिक विकास प्रखंडों से 4-4 छात्रवृत्तियां तथा जन-जाति क्षेत्र के प्रखंडों से 2-2 अतिरिक्त छात्रवृत्तियां कुल 2,572 छात्रवृत्तियां प्रति वर्ष नये छात्रों को 250 रु० से लेकर 1,000 रु० तक प्रति वर्ष की दर से 7वें वर्ग से प्रारंभ कर बोर्ड परीक्षा की समाप्ति तक दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत होने वाले सम्पूर्ण व्यय में सप्तम वित्तीय आयोग की अनुशंसा के आधार पर 50.64 लाख रु० राज्य सरकार वचनवद्ध व्यय के रूप में गैर-योजना मद से तथा शेष राशि 33,78,000 रु० केन्द्र सरकार ने वहन किया है।

2. राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियां

राज्य-सरकार द्वारा निम्नांकित छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं जिसका सम्पूर्ण व्यय राज्य-सरकार गैर-योजना एव योजना मद से वहन करती है--

(क) विश्वविद्यालय स्तर पर--

(1) विशेष राज्य मेधाविता छात्रवृत्ति।
(2) विशेष शिक्षक संतान छात्रवृत्ति।
(3) स्नातकोत्तर स्तर पर राज्य मेधाविता छात्रवृत्ति।
(4) राज्य मेधाविता छात्रवृत्ति।
(5) विज्ञान पढ़नेवाली छात्राओं के लिए विशेष मेधाविता छात्रवृत्ति
(6) मेधा-सह-निर्धनता छात्रवृत्ति;।
(7) राज्य के बाहर पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति;।
(8) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बिहारी छात्रों को छात्रवृत्ति।

(1) **विशेष राज्य मेधाविता छात्रवृत्ति**—राज्य-सरकार ने वित्तीय वर्ष 1980-81 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के अनुरूप उत्तर माध्यमिक स्तर एवं स्नातकोत्तर स्तर पर विशेष राज्य मेधाविता छात्रवृत्ति योजना लागू की है। यह छात्रवृत्ति राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (केन्द्र सरकार) के अतिरिक्त है। इस योजना के अन्तर्गत छात्रों का चुनाव एवं प्रक्रिया वही है जो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा निर्धारित है। इस योजना के अन्तर्गत छात्र के वार्षिक आय का कोई बंधन नहीं है किन्तु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्र के अभिभावक की वार्षिक आय 6,000 रु० तक है। इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति की दर 60 रु० प्रतिमाह से 150 रु० प्रतिमाह तक दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष 2,258 नवीन (फ्रेश) छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

(2) **विशेष शिक्षक संतान छात्रवृत्ति**—राज्य-सरकार ने अपनी ओर से प्रस्वीकृत प्राथमिक विद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक के बच्चों को विशेष शिक्षक संतान छात्रवृत्ति 1980-81 वर्ष से लागू की है। राष्ट्रीय शिक्षक संतान छात्रवृत्ति देने के बाद यह छात्रवृत्ति छात्र/छात्राओं को स्वीकृत की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत 53 छात्र/छात्रा प्रतिवर्ष नवीन (फ्रेश) लाभान्वित होते हैं उत्तर माध्यमिक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक 60 रु० प्रतिमाह से लेकर 150 रु० प्रतिमाह की दर से दी जाती है। इस छात्रवृत्ति के लिए नियम, चुनाव-प्रक्रिया वही है जो केन्द्र द्वारा शिक्षक संतान छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत निर्धारित है।

(3) **स्नातकोत्तर स्तर पर राज्य मेधाविता छात्रवृत्ति**—इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय छात्रवृत्ति देने के बाद प्रत्येक विषय की प्रतिष्ठा परीक्षा के आधार पर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण दो छात्र एवं दो छात्रा को यह छात्रवृत्ति प्रति वर्ष फ्रेश (नवीन) 100 रु० प्रति माह से लेकर 150 रु० प्रतिमाह की दर से दी जाती है।

(4) **राज्य मेधाविता छात्रवृत्ति**—इस योजना के अन्तर्गत माध्यमिक परीक्षा एवं इन्टर परीक्षा के आधार पर छात्र/छात्राओं को मेधाक्रम में 60 रु० से 72 रु० तक प्रतिमाह की दर से यह छात्रवृत्ति दी जाती है। स्नातकचर्या या टेकनीकल संस्थानों में पढ़ने के लिए यह छात्रवृत्ति 120 रु० प्रतिमाह की दर से देय है। छात्रावास में रहने वाले ऐसे छात्र/छात्राओं को 30 रु० प्रतिमाह की दर से छात्रावास भत्ता दिया जाता है। इस छात्रवृत्ति में आय का बंधन नहीं है।

(5) **विज्ञान पढ़ने वाली छात्राओं को विशेष मेधा छात्रवृत्ति**—इस योजना के अन्तर्गत माध्यमिक परीक्षा तथा इन्टर परीक्षा के आधार पर मेधाक्रम में चयनित छात्रा को 60 रु० प्रतिमाह की दर से दी जाती है। इसमें आय का बन्धन नहीं है।

(6) **मेधा-सह-निर्धनता छात्रवृत्ति**—इस योजना के अन्तर्गत उत्तर माध्यमिक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर के छात्र/छात्राओं को 60 रु० से 72 रु० तक प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। यह छात्रवृत्ति उन छात्र/छात्राओं को दी जाती है जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय छात्र के मामले में 8,000 रु० एवं छात्राओं के मामले में 10,000 रु० तक है। यह छात्रवृत्ति मेधाविता क्रम में प्रत्येक विश्वविद्यालयों को आवंटित कोटा के आधार पर दी जाती है।

(7) **राज्य के बाहर पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति**—इस योजना के अन्तर्गत माध्यमिक परीक्षा के आधार पर 50 छात्र/छात्राओं को प्रतिवर्ष नवीन (फ्रेश) 60 रु० प्रतिमाह की दर से यह छात्रवृत्ति दी जाती है। यह छात्रवृत्ति उन छात्र/छात्राओं को देय है जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय छात्र के मामले में 8,000 रु० एवं छात्रा के मामले में 10,000 रु० तक है।

(8) **जवाहर लाल विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बिहारी छात्रों को छात्रवृत्ति**—इस योजना के अन्तर्गत 2 छात्रों को फ्रेश (नवीन) प्रतिवर्ष बिहारी छात्रों को पी० एच० डी० करने हेतु 300 रु० प्रतिमाह की दर से 4 वर्षों तक छात्रवृत्ति दी जाती है।

(ख) माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्तियां—

(1) राज्य प्रतिभा छात्रवृत्ति।

(2) मेधा-सह-निर्धनता छात्रवृत्ति।

(1) **राज्य प्रतिभा छात्रवृत्ति**—ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभासंपन्न बच्चों को माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के अनुरूप राज्य-सरकार ने 1974-75 वर्ष में राज्य प्रतिभा छात्रवृत्ति लागू की है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों के प्रतिभासंपन्न बच्चों को यह छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण छात्रवृत्ति देने के बाद प्रतिवर्ष प्रत्येक प्रखंड से 4-4 छात्रों को अर्थात् 2,348 छात्रों को एवं शहरी क्षेत्रों के 252 छात्रों को 7वें वर्ग से प्रारम्भ कर बोर्ड माध्यमिक परीक्षा की समाप्ति तक 300 रु० प्रतिवर्ष से लेकर 1,200 रु० प्रतिवर्ष तक छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत छात्रों के चुनाव की प्रक्रिया वही है जो राष्ट्रीय ग्रामीण छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत निर्धारित है।

(2) **मेधा-सह-निर्धनता छात्रवृत्ति**—इस योजना के अन्तर्गत राज्य के वर्ग 7 से 10 तक के छात्र/छात्राओं को 18 रु० प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है।

(ग) प्राथमिक स्तर पर छात्रवृत्तियां—

(1) उच्च प्राथमिक छात्रवृत्ति।
(2) मेधा-सह-निर्धनता छात्रवृत्ति।
(3) संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिये छात्रवृत्ति।

(1) **उच्च प्राथमिक छात्रवृत्ति**—यह छात्रवृत्ति मध्य विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को 18 रु० प्रतिमाह की दर से दी जाती है। इसके लिये प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती है।

(2) **मेधा-सह-निर्धनता छात्रवृत्ति**—इस योजना के अन्तर्गत वर्ग 5 से वर्ग 7 तक के छात्र/छात्राओं को यह छात्रवृत्ति चयन के आधार पर 12 रु० प्रतिमाह की दर से दी जाती है।

(3) **संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति**—इस योजना के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पड़ने वाले छात्रों को 12 रु० प्रतिमाह की दर से उच्च प्राथमिक छात्रवृत्ति दी जाती है। इसी प्रकार राज्य के उच्च विद्यालयों में एवं संस्कृत उच्च विद्यालयों में संस्कृत पढने वालों छात्रों को 12 रु० प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है।

(घ) सामान्य छात्रवृत्तियां—

(1) राजनीतिक पीड़ित के बच्चों को छात्रवृत्ति।
(2) अरबी फारसी संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों को मेधा-सह-निर्धनता छात्रवृत्ति।
(3) मेधा-सह-निर्धन छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय स्तर पर नामांकन अनुदान।
(4) वर्ग 9-10 में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को पुस्तक अनुदान।
(5) मृत सरकारी सेवकों के बच्चों को विशेष अनुग्रह छात्रवृत्ति।

(1) **राजनीतिक पीड़ित के बच्चों को छात्रवृत्ति**—इस योजना के अन्तर्गत राज्य के राजनीतिक पीड़ित के बच्चों को प्राथमिक स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक 12 रु० से लेकर 48 रु० प्रतिमाह प्रति छात्र की दर से यह छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत कोई कोटि कोटा निर्धारित नहीं है।

(2) **अरबी-फारसी संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों को मेधा-सह-निर्धनता छात्रवृत्ति**—इस योजना के अन्तर्गत राज्य के अरबी-फारसी पढ़ने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु 15 रु० प्रतिमाह से लेकर 48 रु० प्रतिमाह तक प्रति छात्र की दर से यह छात्रवृत्ति दी जाती है।

(3) **मेधा-सह-निर्धन छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय स्तर पर नामांकन अनुदान**—इस योजना के अन्तर्गत माध्यमिक परीक्षा एवं इन्टर परीक्षा के आधार पर मेधावी एवं निर्धन छात्र/छात्राओं को 60 रु० प्रति छात्र प्रतिवर्ष दी जाती है।

(4) **वर्ग 9-10 में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को पुस्तक अनुदान**—इस योजना के अन्तर्गत वर्ग 9-10 में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को उनके अभिभावक के वार्षिक आय, छात्र के मामले में 8,000 रु० एवं छात्राओं के मामले में 10,000 रु० तक की हो उन्हें प्रति छात्र 18 रु० तक दी जाती है। इसमें कोई कोटा निर्धारित नहीं है।

(5) **मृत सरकारी सेवकों के बच्चों को विशेष अनुग्रह छात्रवृत्ति**--इस योजना के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवकों के तीन बच्चों तक को विशेष अनुग्रह छात्रवृत्ति दी जाती है। प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक 30 रु० प्रतिमाह प्रति छात्र तथा विश्वविद्यालय स्तर पर 50 रु० प्रतिमाह प्रति छात्र की दर से 21 वर्ष की उम्र तक लड़की के मामले में शादी के पूर्व तक यह छात्रवृत्ति दी जाती है। वित्तीय वर्ष, 1981-82 में गैर-योजना एवं योजना मद में छात्रवृत्तियों पर 6,78,62,119 रु० व्यय हुए हैं जिनसे 61,512 छात्र/छात्राएं फ्रेश (नवीन) छात्रवृत्ति से लाभान्वित हुए हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न कोर्सो की अवधि-सीमा के अनुसार इनका नवीकरण किया गया है। गैर-योजना एवं योजना से स्वीकृत विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां नीचे की तालिका में अलग-अलग दी गई हैं।

छात्रवृत्तियों का प्रकार (1)	गैर-योजना (2)	योजना (3)	योग (4)
(क) विश्वविद्यालय स्तर पर—			
1. उत्तर माध्यमिक स्तर एवं स्नातकोत्तर स्तर पर विशेष राज्य मेधाविता छात्रवृत्ति (राज्य)।	2,258	2,258	4,515
2. विशेष शिक्षक संतान छात्रवृत्ति (राज्य)।	53	53	106
3. मेधा-सह-निर्धनता छात्रवृत्ति	6,868	9,118	15,986
4. स्नातकोत्तर स्तर पर राज्य मेधाविता छात्रवृत्ति (प्रत्येक की प्रतिष्ठा परीक्षा के आधार पर 2 छात्र एवं 2 छात्रा को)।	2	2	4

छात्रवृत्तियों का प्रकार (1)	गैर-योजना (2)	योजना (3)	योग (4)
5. राज्य मेधा छात्रवृत्ति	680	1,680	2,360
6. विज्ञान पढ़ने वाली छात्राओं के लिये विशेष मेधा छात्रवृत्ति ।	350	350	700
7. राज्य के बाहर पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति ।	50	50	100
8. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बिहारी छात्रों को छात्रवृत्ति ।	1	1	2
विश्वविद्यालय स्तर पर कुल फ्रेश छात्रवृत्ति	10,262	13,504	23,766
(ख) माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्तियां—			
1. राज्य प्रतिभा छात्रवृत्ति	713	1,887	2,600
2. वर्ग 7 से 10 तक के छात्र/छात्राओं को मेधा-सह-निर्धनता छात्रवृत्ति ।	3,613	3,613	7,226
माध्यमिक स्तर पर कुल फ्रेश छात्रवृत्ति	4,326	5,500	9,826
(ग) प्राथमिक स्तर पर छात्रवृत्तियां—			
1. उच्च प्राथमिक छात्रवृत्ति	5,760	12,804	18,564
2. मेधा-सह-निर्धनता छात्रवृत्ति--			
(क) वर्ग 5 एवं 6 की छात्राओं को	1,750	1,750	3,500
(ख) वर्ग 5 एवं 6 के छात्रों/छात्राओं को	2,100	2,100	4,200
3. संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति			
(क) उच्च प्राथमिक छात्रवृत्ति	..	100	100
(ख) संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति ।	138	138	276
प्राथमिक स्तर पर कुल फ्रेश छात्रवृत्ति	9,748	16,892	26,640

छात्रवृत्तियों का प्रकार (1)	गैर-योजना (2)	योजना (3)	योग (4)
(घ) सामान्य छात्रवृत्तियां			
1. राजनीतिक पीड़ित के बच्चों के लिये कोई कोटा निर्धारित नहीं है ।			
2. अरबी-फारसी संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति ।	15	15	30
3. महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिये नामांकन अनुदान ।	625	625	1,250
4. वर्ग 9 एवं 10 में पढ़ने वाले छात्रों के लिये पुस्तक अनुदान के अन्तर्गत कोई कोटा निश्चित नहीं है ।			
5. मृत सरकारी सेवकों के बच्चों को विशेष अनुग्रह छात्रवृत्ति ।	कोई कोटा निश्चित नहीं है ।		
कुल योग	640	640	1280

वित्तीय वर्ष, 1981-82 से उपर्युक्त सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों की दर में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जिसके फलस्वरूप छात्रवृत्ति की मद में होनेवाले व्यय के अतिरिक्त 98,92,550 रुपया का व्यय भार राज्य सरकार को वहन योजना मद से करना पड़ा है ।

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष, 1980–81 से एक एवं 1981—87 से एक नई योजना एन० सी० सी० के कैडेट के लिये लागू की है । इसके लिए 1981-82 वर्ष में 3,60,580 रु० स्वीकृत किया गया है । इन दोनों योजनाओं से 700 कैडेट लाभान्वित होंगे ।

वित्तीय वर्ष 1981-82 में सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों के मद में निकासी की गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है :—

क्रमांक	छात्रवृत्ति का नाम।	वित्तीय वर्ष 1981-82 में गैर-जनजाति क्षेत्र में दी जानेवाली राशि।	वित्तीय वर्ष 1981-82 में जनजाति क्षेत्र में दी जानेवाली राशि।	कुल योग।
1	2	3	4	5
1.	प्राथमिक स्तर की छात्रवृत्ति पर।	61,62,700	8,19,360	69,82,060
2.	माध्यमिक स्तर की छात्रवृत्ति पर।	1,61,96,295	28,10,300	1,90,06,595
3.	विशेष शिक्षा स्तर की छात्रवृत्ति पर।	54,000	..	54,000
4.	सामान्य शिक्षा स्तर की छात्रवृत्ति पर।	5,95,288	..	5,95,288
5.	मृत सरकारी सेवकों के बच्चों को विशेष अनुग्रह छात्रवृत्ति पर।	9,50,000	..	9,50,000
6.	विश्वविद्यालय स्तर की छात्रवृत्ति पर।	3,61,99,426	40,74,750	4,02,74,176
	कुल योग ..	6,01,57,709	77,04,410	6,78,62,119

6. बिहार में वयस्क शिक्षा कार्यक्रम

उद्देश्य।

बिहार में वयस्क शिक्षा कार्यक्रम 2 अक्तूबर 1978 को लागू किया गया था। उस समय बिहार की जनसंख्या 5 करोड़ 65 लाख के करीब थी। जिसमें से मात्र 19.94 प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी जिसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में साक्षरता का प्रतिशत क्रमश: 6.5 प्रतिशत और 11.5 प्रतिशत था। उसी के आधार पर निरक्षरता उन्मूलन तथा साक्षरता की विषमता को मिटाने के लिये वयस्क शिक्षा कार्यक्रम लागू किया गया था। 1971 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में 15 से 35 आयु वर्ग के लोगों की कुल जनसंख्या लगभग 1 करोड़ 77 लाख थी जिसमें मात्र 51 लाख 32 हजार लोग शिक्षित जनगणना के अनुसार पाये गये हैं। अर्थात कुल 29 प्रतिशत व्यक्ति ही साक्षर थे। इसी आयु वर्ग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग कुल 5 प्रतिशत साक्षर थे। अब 1981 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 6 करोड़ 98 लाख के लगभग है जिसमें मात्र 26.01 प्रतिशत लोग जनगणना की दृष्टि से साक्षर हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के साक्षरों का प्रतिशत क्रमश: 6.5 प्रतिशत और 11.3 प्रतिशत है। दुखद स्थिति यह है कि अनुसूचित जाति के महिलाओं की साक्षरता की स्थिति मात्र 1.3 प्रतिशत है जबकि उससे थोड़ी ही बेहतर स्थिति जनजाति की महिलाओं की साक्षरता की है जो मात्र 5 प्रतिशत है।

उपर्युक्त आंकड़ों को देखते हुए बिहार में वयस्क शिक्षा एक विकल्प नहीं, वरन अनिवार्य आवश्यकता है। इतना ही नहीं, बल्कि इतनी बड़ी जनसंख्या में वयस्कों की शिक्षा व्ययसाध्य तो है ही, अनवरत परिश्रम तथा महान प्रयास की भी आवश्यकता है।

राज्य में वयस्क शिक्षा के मुख्यत: तीन अंग मानकर कार्यक्रम चलाया गया। साक्षरता, पेशागत कुशलता तथा संगठन एवं चेतना 1978-79 का वर्ष तैयारी का वर्ष था। वास्तव में वयस्क शिक्षा केन्द्रों का आरम्भ 1979 के अप्रील से लागू किया गया। अबतक राज्य में 124 वयस्क शिक्षा परियोजनाएं चालू हैं। 1978-79 वर्ष में 31 (प्रत्येक जिला में एक-एक), 1979-80 में अतिरिक्त 31 (कुल प्रत्येक जिला में दो-दो) तथा 1980-81 में 62 परियोजनाएं जनजातीय क्षेत्रों में खोली गयीं जिनकी विवरणी निम्नांकित हैं।

वयस्क शिक्षा में हरिजनों, महिलाओं तथा आदिवासियों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से यह नीति निर्धारित कर दी गयी है कि राज्य भर में जितने केन्द्र संचालित होंगे, उसमें 50 प्रतिशत केन्द्र हरिजनों के लिए होंगे और केन्द्र खोलने में प्राथमिकता महिला केन्द्रों को दी जायगी।

वयस्क शिक्षा के कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण तथा सामग्रियों के उत्पादन के लिए राज्य साधन इकाई 'दीपायतन' भी एक संस्था है। जिला वयस्क शिक्षा पदाधिकारी तथा परियोजना पदाधिकारी का प्रशिक्षण राज्य के बाहर दिल्ली के राष्ट्रीय आयोजक एवं प्रशासक संस्था में तथा साक्षरता निकेतन लखनऊ में होता था। किन्तु अब परियोजना पदाधिकारी तथा पर्यवेक्षकों तथा सांख्यिकी सहायक, प्रशिक्षण महाविद्यालय के व्याख्याता के भी प्रशिक्षण की व्यवस्था 'दीपायतन' में ही की गई है। 'दीपायतन' द्वारा आयोजित प्रशिक्षण के विवरण निम्नांकित हैं :—

दीपायतन द्वारा आयोजित प्रशिक्षण की विवरणी

	चर्याओं की संख्या	अवधि	कुल प्रशिक्षित लोगों की संख्या।
1. परियोजना पदाधिकारी	3	1-चर्या-2 दिन	106
2. पर्यवेक्षक ..	23	2-चर्या-10 दिन	642
3. प्रशिक्षण महाविद्यालय के व्याख्याता।	1	3	100
4. सांख्यिकी सहायक	1	3	31

इसके अतिरिक्त भारत सरकार के पूरे व्यय पर स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा वयस्क शिक्षा कार्यक्रम चलाये गये। प्रथम दो वर्षों में 65 स्वैच्छिक संस्था को दो लाख अठारह हजार 70 वयस्क शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए अनुदान मिला। 114 संस्थाओं को अनुवर्त्ती कार्यक्रम के लिए अनुदान मिला है। इसके अतिरिक्त विश्व-विद्यालयों और महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत वयस्क शिक्षा के कार्यक्रम चलाये गये हैं।

अबतक सरकारी स्तर पर वयस्क शिक्षा के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धियों की विवरणी अलग से प्रपत्र में अंकित है :—

वयस्क शिक्षा : भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियां

(क) केन्द्रों की संख्या।

	1979-80	1980-81	1981-82 (31 मार्च 1982 तक।)	
			लक्ष्य	उपलब्धि
भारत सरकार ..	2,066	1,317	2,700	2,123
राज्य सरकार ..	3,194	3,451	8,690	5,309

उपलब्धि संबंधित वर्ष में कुल खोले गए केन्द्रों की संख्या के अर्थ में।

(ख) लाभान्वित वयस्कों की संख्या।

	1979-80	1980-81	1981-82 (31 मार्च 1982 तक)।	
			लक्ष्य	उपलब्धि
कुल	1,51,437	1,28,032	3,41,700	2,22,965
अनुसूचित जाति ..	38,081 (25.24)	36,589 (28.57)	85,425	56,479 (25.31)
अनुसूचित जनजाति ..	14,061 (9.28)	15,108 (11.8)	85,425	24,213 (10.85)

× उपलब्धि नामांकित वयस्कों की संख्या के अर्थ में।

( ) कोष्ठ में अंकित आंकड़े कुल उपलब्धि के प्रतिशत को सूचित करते हैं।

क्रमांक 1	जिला 2	परियोजना का नाम 3
1	पटना	पुनपुन बिहटा
2	नालन्दा, बिहार शरीफ	गिरियक अस्थावां
3	नवादा	सिरदला रजौली
4	गया	डुमरिया गुरुआ
5	औरंगाबाद	मदनपुर देव
6	भोजपुर, आरा	जगदीशपुर सहार
7	रोहतास, सासाराम	भगवानपुर अघौरा
8	भागलपुर	अमरपुर बांका
9	मुंगेर	खड़गपुर लक्ष्मीपुर
10	संथाल परगना, दुमका	शिकारीपाड़ा काठीकुण्ड सुन्दरपहाड़ी पथना राजमहल बड़हेट बोआरीजोर बोरियो तालझारी हिरनपुर महेशपुर गोपिकांदर अमड़ापाड़ा रामगढ़ पाकुड़िया लिट्टीपाड़ा नारायणपुर

क्रमांक 1	जिला 2	परियोजना का नाम 3
11	हजारीबाग	सिमरिया
		चतरा
		विशुनगढ़
		प्रतापपुर
		बरकट्ठा
		मरकच्चो
		टंडवा
		बड़कागांव
		चौपारन
12	गिरिडीह	जमुआ
		धनवार
		पीरटांड़
		गांडेय
		बिरनी
		देवरी
		बगोदर
13	धनबाद	चन्दनकियारी
		चास
		टुण्डी
		तोपचांची (बाघमारा)
		बलियापुर (झरिया)
		गोविन्दपुर
14	रांची	तमाड़
		अड़की
		अनगढ़ा
		ओरमांझी
		किस्को
		सेनहा
		घाघरा
		बिशनपुर
		बुण्डू
		भरनो
		खुंटी
		चैनपूर

क्रमांक	जिला	परियोजना का नाम
1	2	3
15	पलामू	बालूमथ
		लातेहार
		चन्दवा
		बरवाडीह
		भंडरिया
		गारू
		मनिका
		धुरकी
		रंका
		मनातू
		चैनपुर
16	सिहभूम	पटपदा
		नीमडीह
		टोटो
		नोआमुण्डी
		डुमरिया
		कुचाय
		बनगाँव
		गोएलकेरा
		सोनुआ
		जगन्नाथपुर
		मंझारी
		कुमारडुंगी
		खूंटपानी
		मनोहरपुर
17	पूर्णिया	बड़हरा
		धमदाहा
18	कटिहार	कोढ़ा
		पुलका
19	सहरसा	महिषी
		कहरा
20	बेगूसराय	बखरी

क्रमांक	जिला	परियोजना का नाम
1	2	3
		चेरिया बरियारपुर
21	समस्तीपुर	मोरवा
		पूसा
22	दरभंगा	मनीगाछी
		घनश्यामपुर
23	मधुबनी	लदनियां
		बाबूबरही
24	वैशाली	पातेपुर
		गरौल
25	मुजफ्फरपुर	पूरौल
		सकरा
26	सीतामढ़ी	मेजरगंज
		रीगा
27	सारण	एकमा
		मांझी
28	सीवान	गुठनी
		दरौली
29	गोपालगंज	बैकुंठपुर
		बरौली
30	पूर्वी चम्पारण	हरसिद्धी
		पहाड़पुर
31	पश्चिमी चम्पारण	गौनाहा
		रामनगर

7. छात्र एवं युवा कल्याण

1. **राष्ट्रीय सेवा योजना**—राष्ट्रीय सेवा योजना विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं के लिये भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है। 1981-82 में इस योजना के अन्तर्गत विशेष शिविरों के आयोजन के कार्यक्रम में 12,000 छात्र-छात्राओं के भाग लेने का लक्ष्य स्वीकृत किया गया। इस योजना का खर्च 7·5 के अनुपात में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इनके समक्ष भारत सरकार से विशेष शिविर कार्यक्रम के लिए कुल 5,57,500 रुपया का अनुदान प्राप्त हुआ। तदनुसार राज्य सरकार की ओर से 3,98,500 रुपया मात्र ही खर्च किया जा सका, जबकि वित्तीय वर्ष 1981-82 में इस कार्यक्रम के लिए राज्य के योजना उद्व्यय में 9,25,000 रुपया निर्धारित था।

राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्य के लिए राज्य मुख्यालय में स्थापित प्रशासनिक तंत्र के खर्च हेतु स्वीकृत राशि को छोड़ शेष राशि पटना, मगध, बिहार, ललित नारायण मिथिला, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत, राजेन्द्र कृषि, भागलपुर तथा रांची विश्वविद्यालयों एवं इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद के बीच आबंटित की गई जिनके माध्यम से उक्त कार्यक्रम का संचालन किया गया।

2. **स्टेडियम का निर्माण**—खेल-कूद के प्रोत्साहन के लिये प्रत्येक जिला मुख्यालय में तथा कुछ अन्य प्रमुख स्थानों में खुले स्टेडियम का निर्माण हेतु राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जा रही है। 1981-82 में दरभंगा, बेतिया, रामनगर (बेतिया) में खुले स्टेडियम के निर्माण हेतु कुल 2.50 लाख रुपया तथा सिमडेगा लोहरदगा एवं चाईबासा स्टेडियम के निर्माण हेतु 2,87,500 रु० स्वीकृत किये गये। इसके अलावा हजारीबाग एवं समस्तीपुर स्टेडियम के निर्माण एवं मोईनुलहक स्टेडियम के हाते में एक तरणताल के निर्माणार्थ भारत सरकार द्वारा 3.00 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

3. **भारत स्काउट एवं गाइड**—भारत स्काउट एवं गाइड संस्था का राज्य में स्काउट एवं गाइड को प्रोत्साहित करने हेतु 1981-82 में 1.50 लाख का अनुदान दिया गया।

4. शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद कार्यों से संबद्ध पदाधिकारियों तथा शिक्षकों के लिए रिफ्रेसर कोर्स संचालित करने के लिए 1981-82 में 40,000 रुपया की स्वीकृति दी गई।

प्रशासनिक संगठन—प्रशासनिक संगठन के सुदृढ़ीकरण हेतु उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग, गया एवं सारण प्रमंडल, छपरा के लिए अधीक्षक शारीरिक

शिक्षा के पदों की अवधि वृद्धि 28 फरवरी 1982 के लिये की गई। उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, पटना, रांची, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के कार्यालयों के पदों की अवधि वृद्धि 28 फरवरी 1982 तक की गई।

6. **पर्वतारोहण को प्रोत्साहन**--तुषार मानव पर्वतारोही संगठन, धनबाद को पर्वतारोहण के लिए गैर-योजना मद से 10,000 रुपया स्वीकृत किया गया।

जनजाति एवं गैर-जनजाति क्षेत्र के लिए सहायक शिक्षा निदेशक (क्रीड़ा) के पदों को 1 मार्च 1982 से स्थायीकरण किया गया।

7. **अखाड़ा एवं व्यायामशाला के विकास**--अखाड़ों एवं व्यायामशाला के विकास के लिये विभिन्न 16 व्यायामशालाओं को गैर-योजना मद से कुल 25,000 रुपया स्वीकृत किया गया।

8. **बिहार राज्य क्रीड़ा परिषद्**--बिहार राज्य क्रीड़ा परिषद् को खेल-कूद के विकास एवं स्थापना मद में व्यय के लिए कुल 3.00 लाख की राशि स्वीकृत की गई।

9. **खेलकूद विकास केन्द्र**--खेल-कूद विकास प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालनार्थ 1981-82 में 5.25 लाख रु० स्वीकृत किया गया।

10. **क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र**--पटना में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र तथा मुजफ्फरपुर एवं रांची में जिला क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र चलाने के लिए 1.00 लाख रु० स्वीकृत किया गया।

11. **विद्यालय एवं महाविद्यालय खेलकूद केन्द्र**--कन्या विद्यालय में महिला खेल-कूद केन्द्र के निर्माण के लिए 1981-82 में 87,500 रुपया अनुदान स्वीकृत किया गया।

12. **उच्च विद्यालयों के खेल के मैदान का विकास**--बालक उच्च विद्यालयों के खेल के मैदान के विकास के लिए 1,60,000 रुपया स्वीकृत किया गया।

13. अखिल भारतीय विद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता (शरतकालीन) का आयोजन दिनांक 15 दिसम्बर 1981 से 21 दिसम्बर 1981 तक युवा कल्याण निदेशालय, शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कराया गया। इस प्रतियोगिता में 25 राज्यों ने भाग लिया था।

14 राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता कार्यक्रम का संचालन किया गया । इसमें बड़े पैमाने पर जांच कार्य एवं जिला-प्रमंडल स्तर पर जांच कार्यक्रम संचालित किया गया। राज्य पुरस्कार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया एतदर्थ 57,500 रुपया स्वीकृत किया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता ग्वालियर में राज्य के तीन छात्रों को पुरस्कृत किया गया एवं छात्रवृति प्रदान की गयी।

अप्रील, 1982 में अखिल भारतीय संजय गांधी गोल्ड कप टूर्नामेंट के आयोजनार्थ 4,00 000 (चार लाख रुपये) स्वीकृत किए गए।

8. कला एवं संस्कृति

प्रगति प्रतिवेदन

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना ने कला एवं संस्कृति को मानव जीवन के समन्वय का सार एवं प्रगति का प्रतीक सिद्ध किया है। साथ ही, शिक्षा विभाग ने राष्ट्र विकास एवं समाज कल्याण के उद्देश्य से कला एवं संस्कृति को समृद्ध बनाया है, उन्हें विकास करने के लिये मार्ग प्रशस्त किया है, उन्हें अंगीकार करने हेतु लोगों को प्रोत्साहित किया है।

(क) भारतीय नृत्य कला मन्दिर की स्थापना

1. **गैर-योजना**—भारतीय नृत्य कला मंदिर, पटना, रांची शाखा एवं दुमका शाखा को 5,00,000 (पांच लाख रुपया) का अनुदान स्थापना मद में विगत वित्तीय वर्ष 1981-82 में दिया गया।

2. **योजना**—भारतीय नृत्य कला मंदिर, पटना के विकास के लिए (गैर-जनजाति प्रक्षेत्र में) 49,346 (उन्चास हजार तीन सौ छियालिस रुपया) का अनुदान विगत वित्तीय वर्ष 1981-82 में स्वीकृत किया गया।

भारतीय नृत्य कला मंदिर, रांची शाखा, दुमका शाखा में विकास के लिए (जनजाति क्षेत्र) में 40,000 (चालीस हजार रुपया) की स्वीकृति विगत वित्तीय वर्ष 1981-82 में दी गयी। रांची कला मंदिर में भारत नाट्यम और लोक-नृत्य में मुंडा, उरांव तथा छाव नृत्य के प्रशिक्षण का प्रबन्ध है। दुमका कला केन्द्र में संथाल नृत्य का प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ख) कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत सार्वजनिक संस्थाओं को अनुदान

1. गैर-योजना

गैर-योजना के अन्तर्गत 3,62,900 रुपये एवं 39,300 रुपये संस्थाओं के बीच वितरण किये गये। इसके अतिरिक्त 6,63,700 रुपये बचत से संस्थाओं को अनुदान प्रदान किया गया। गैर-योजना मद के अन्तर्गत शिक्षा विभाग कला को उप-विद्या के रूप में प्रतिष्ठित किया है एवं इस सत्यता के संदर्भ में शैक्षणिक संस्थाएं, जो अपने पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा प्रदान करती हैं, को वित्तीय सहायता प्रदान किया है। इस अनुदान का मुल उद्देश्य अधिकाधिक शिक्षा का प्रसार है। ऐसी संस्थाओं में प्रमुख हैं—वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान; मंदार विद्यापीठ,

भागलपुर; बालिका विद्यापीठ, लखीसराय; गुरुकुल महाविद्यालय, वैद्यनाथ धाम; गांधी विद्या संस्थान, बाराणसी ; बिहार सांस्कृतिक विद्यापीठ,, पटना ; चेतना समिति, पटना एवं मिथिला नव निर्माण परिषद्, दरभंगा।

2. योजना

योजना मद में 1,50,000 रुपया संस्थाओं के बीच वितरण किया गया था। योजना मद के अन्तर्गत शिक्षा विभाग ने कला को अन्वेषक तथा लोक मंगलकारी ठहराया है। इस तथ्य के अन्तर्गत शिक्षा विभाग ने सांस्कृतिक एवं कला प्रदर्शनकारी संस्थाओं को, कलात्मक पाठ्यक्रम एवं कला प्रदर्शन हेतु अनुदान प्रदान किया है। वित्तीय सहायता की इस योजना का मुख्य उद्देश्य संस्कृति को संचित एवं समृद्ध रखना, कला की गरिमा को बढ़ाना एवं कला की उपयोगिता को जीवन में दर्शाना है। कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत निम्नांकित प्रमुख संस्थाओं को शिक्षा विभाग ने प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान प्रदान किया है :—

(1) बिहार आर्ट थियेटर, पटना।
(2) कला संगम, पटना।
(3) अंकुर, पटना।
(4) नटराज नाट्य कला परिषद्, समस्तीपुर।
(5) रंगायन, रांची।
(6) कला भवन, पूर्णियां।
(7) नवरंग, पटना।
(8) महाश्वेता कला मंदिर, पटना।
(9) तारा संगीत मंदिर, पटना।
(10) श्री मुकुट संगीत महाविद्यालय, पटना।
(11) नटलोक, पटना।

(ग) बिहार राज्य कला अकादमी, पटना

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा नवस्थापित बिहार राज्य कला अकादमी कला विकास का मुख्य स्तम्भ है। इस अकादमी के द्वारा कलाओं का विकास एवं कलाकारों को पुरस्कार देने की योजना है। 1981-82 में बिहार राज्य कला अकादमी को 2,00,000 रुपया प्रदान किया गया है। इस कला अकादमी के माध्यम से नृत्य, नाट्य, संगीत एवं ललित कलाओं के विकास की व्यवस्था की गई है।

(घ) युवा महोत्सव

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कला एवं संस्कृति विकास का मूल स्रोत युवा महोत्सव है। 1981-82 में युवा महोत्सव द्वारा उदीयमान कलाकारों को नगद इनाम प्रदान किया गया है। कला के हर क्षेत्र संगीत, नृत्य, नाटक, वादन, शिल्प आदि में प्रतियोगिता प्रदर्शन का आयोजन हुआ है जिसके अन्तर्गत कलाकारों को पुरस्कृत किया गया है। 1981-82 में युवा महोत्सव पर 1,20,000 (एक लाख बीस हजार) रुपया स्वीकृत है।

9. एन० सी० सी०

बिहार में एन० सी० सी० की स्थापना भारत सरकार के एन० सी० सी० अधिनियम, 1948 पारित होने के साथ-साथ ही हुई। एन० सी० सी० में कॉलेज छात्रों के लिए सीनियर डिवीजन, स्कूल छात्रों के लिए जूनियर डिवीजन हैं। इसी प्रकार कॉलेज एवं स्कूली छात्राओं के लिए भी अलग-अलग इकाइयां हैं। स्थापना के वर्ष 1948 में 1,060 छात्र सीनियर डिवीजन में एवं 4,050 छात्र जूनियर डिवीजन में थे। इसके विपरीत आज एन० सी० सी० की स्थल सेना, वायु सेना एवं जल सेना शाखाएं भी बिहार में हैं। इसके अलावा मेडिकल यूनिट, इंजीनियरिंग यूनिट आदि भी हैं। बिहार में एन० सी० सी० निदेशालय के निदेशक सेना के ब्रिगेडियर हैं। एन० सी० सी० के बिहार में 5 ग्रुप हैं, यथा—भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना एवं रांची। ग्रुप कमाण्डर सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल स्तर के पदाधिकारी होते हैं। राज्य में अभी 43 बटालियन विभिन्न जिलों में कार्यरत हैं।

2. राज्य के 172 कॉलेजों एवं 381 स्कूलों में एन० सी० सी० का प्रशिक्षण होता है। कॉलेजों में 27,200 छात्र एवं 3,300 छात्राएं प्रशिक्षणरत हैं। स्कूलों में 43,200 छात्र एवं 3,300 छात्राएं प्रशिक्षणरत हैं।

3. **एन० सी० सी० के लक्ष्य—**

(अ) नेतृत्व, आचरण, भाईचारा, खिलाड़ियों की प्रवृत्ति तथा सेवा के भाव को विकसित करना।

(ब) अनुशासित एवं प्रशिक्षित जन-शक्ति का सृजन जो राष्ट्रीय आपात-काल में राष्ट्र के काम आए।

(स) छात्रों में अधिकारियों के गुण का विकास करने हेतु उन्हें प्रशिक्षित करना ताकि वे प्रतिरक्षा सेवा में अधिकारी बन सकें।

4. **प्रशिक्षण—**

प्रशिक्षण देने के लिए रक्षा मंत्रालय के 46 सैनिक ऑफिसर, 196 जूनियर कमिशण्ड ऑफिसर एवं 468 नन-कमिशण्ड ऑफिसर प्रतिनियुक्त हैं। इसके अलावा स्कूल एवं कॉलेजों के 667 अध्यापक/शिक्षक अंशकालिक एन० सी० सी० पदाधिकारी का कार्य करते हैं।

10. पुरातत्व एवं संग्रहालय

राज्य के पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्थलों की खोज, उनका उत्खनन, प्राचीन स्मारकों, स्थलों और पुरावशेषों की समुचित सुरक्षा, संग्रहालयों की स्थापना, संग्रहालयों में संकलित सांस्कृतिक सम्पदा का संरक्षण एवं उनके समुचित प्रदशन के माध्यम से सर्वसाधारण को शिक्षा देना, पुरावशेषों और कलाकृतियों का निबन्धन, गैर-सरकारी संग्रहालयों और पुरातात्विक एवं संग्रहालय के विकास हेतु अनुसंधान कर ठोस योगदान देनेवाली गैर-सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिये अनुदान स्वीकृत करना आदि निदेशालय के प्रमुख कार्यों में से हैं।

1981-82 में पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशालय की निम्नांकित उपलब्धियां रहीं :—

उत्खनन—1981-82 में भी नवादा जिलान्तर्गत अपसढ़ तथा गया जिलान्तर्गत बोधगया स्थित ताराडीह नामक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों की खुदाई की गई। उत्खनन के फलस्वरूप गुप्तोत्तर कालीन ईंटों से बने एक विशाल विष्णु मंदिर के अवशेष का अधिकांश प्रकाश में आया।

ताराडीह के उत्खनन से पालकालीन अवशेष एवं महत्वपूर्ण पुरावशेषों की उपलब्धि हुई है जिनमें प्रस्तर निर्मित बुद्ध-मूर्त्तियां, छोटे-छोटे स्तूप, अर्द्धमूल्यवान प्रस्तर के मनके तथा मिट्टी की मुहरें प्रमुख हैं। कुछ मूर्त्तियों पर तत्कालीन लिपि में अभिलेख भी अभिलिखित प्राप्त हुये हैं।

पुरावशेषों का अर्जन—बिहार राज्य में बिखरी पड़ी महत्वपूर्ण कलाकृतियों को संकलित किये जाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कदम उठाये गये जिसके फलस्वरूप गया संग्रहालय, भागलपुर संग्रहालय, रांची संग्रहालय द्वारा अपने क्षेत्रों से बहुत अच्छे-अच्छे पुरावशेष, जिनमें मूल्यवान प्रस्तर मूर्तियां भी शामिल हैं, अर्जित किये गये हैं।

संरक्षण—राज्य के पुरावशेषों, स्मारकों एवं ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण, अन्वेषण एवं उत्खनन, पुरावशेषों की सुरक्षा आदि के लिये राज्य सरकार ने बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व-स्थल, अवशेष तथा कलानिधि अधिनियम, 1976 लागू किया है। फलस्वरूप 1981-82 में हाजीपुर के अन्तर्गत नेपाली मंदिर तथा भागलपुर जिले के अन्तर्गत महमूद साह का मकबरा (कहलगांव) तथा खेरी पहाड़ी पुरातत्व स्थल (शाहकुंड) नामक महत्वपूर्ण स्मारकों, स्थलों को सुरक्षित घोषित किया गया है तथा कुछ स्मारकों एवं स्थलों को सुरक्षित घोषित करने के निमित्त प्रथम अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

संग्रहालय—संग्रहालय कम खर्च पर शिक्षा का एक सशक्त माध्यम है। अतः संग्रहालयों को शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र और माध्यम बनाये जाने तथा जन-जीवन को उनके निकट लाने के उद्देश्य से नवसृजित संग्रहालयों को संचालित करने के सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी संग्रहालय-सप्ताह के आयोजन के माध्यम से संग्रहालय के महत्व एवं उससे जन-जीवन के लाभ पर पर्याप्त प्रचार की दिशा में सशक्त कदम उठाये गये हैं।

11. शिक्षा विभाग का प्राशासनिक तंत्र

शिक्षा विभाग में दो प्रकार के पदाधिकारी हैं, सचिवालय स्तर एवं निदेशालय स्तर। सचिवालय स्तर का मूल कार्य विभागीय नीतियों का निर्धारण, कार्यक्रम तैयार करना एवं उनके कार्यान्वियन के लिए राशियों की स्वीकृति है। सचिवालय स्तर के निम्नांकित पदाधिकारी हैं :—

1. शिक्षा आयुक्त—पदेन सचिव ।
2. विशेष सचिव ।
3. अपर सचिव ।
4. संयुक्त सचिव ।
5. उप-सचिव ।
6. अवर-सचिव ।

ऐसे पदों की वर्त्तमान स्थिति इस प्रकार है :—

1. शिक्षा आयुक्त—पदेन सरकार के सचिव			1
2. विशेष सचिव	..	..	1
3. अपर सचिव	..	..	2
4. संयुक्त सचिव	..	..	2
5. उप-सचिव	..	..	1
6. अवर-सचिव	..	..	2
योग	..	..	9

2. शैक्षिक नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वियन का भार निदेशालय पर है। राज्य स्तर पर निम्नांकित निदेशक हैं जो अपने क्षेत्राधिकार के संबंध में सरकार को परामर्श देते हैं :—

1. निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)-सह-विशेष सचिव।
2. निदेशक (उच्च शिक्षा)।
3. निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)।
4. निदेशक (शोध एवं प्रशिक्षण)।
5. निदेशक (छात्र एवं युवा कल्याण)-सह-संयुक्त सचिव।
6. निदेशक (वयस्क शिक्षा)-सह-संयुक्त सचिव।
7. विशेष निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)।
8. विशेष निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)।
9. निदेशक (प्रशासन)-सह-संयुक्त सचिव।
10. अपर शिक्षा निदेशक।

उपर्युक्त निदेशकों को उप-निदेशक एवं सहायक निदेशक, कार्य निष्पादन में राज्य स्तर पर एवं प्रमंडलीय, जिला तथा अनुमंडलीय स्तर पर निरीक्षी पदाधिकारी सहायता करते हैं।

3. प्रशासनिक पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी, जो शैक्षणिक एवं शोध संस्थाओं के प्रधान के रूप में नियुक्त हैं, उनके पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के लिए निदेशक (प्रशासन)-सह-संयुक्त सचिव कार्यालय-प्रधान हैं। वे राज्य एवं फील्ड स्तर के राजपत्रित पदाधिकारियों की सेवा-शर्तों की देखरेख करते हैं।

फील्ड स्तर पर दो प्रकार के पदाधिकारी हैं:—

(क) पुरुष पदाधिकारी—जो बालक शिक्षा का नियंत्रण, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करते हैं।

(ख) महिला पदाधिकारी—जो बालिका शिक्षा का नियंत्रण, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करती हैं।

बालिका शिक्षा के लिए निरीक्षी पदाधिकारी

सम्पूर्ण राज्य में बालिका शिक्षा निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं संगठन विद्यालय निरीक्षिका, बिहार द्वारा किया जाता है जिन्हें जिला विद्यालय निरीक्षिका एवं उप-विद्यालय निरीक्षिका सहायता करती हैं।

बालक शिक्षा के लिए निरीक्षी पदाधिकारी

निम्नांकित पदाधिकारी निदेशकों के अधीनस्थ प्रमंडल, जिला एवं अनुमंडल स्तर पर हैं:—

(क) प्रमंडलीय स्तर

1. क्षेत्रीय उप-शिक्षा निदेशक	..	9
2. सहायक क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक	..	9

(ख) जिला स्तर

1. जिला शिक्षा पदाधिकारी	..	31
2. जिला शिक्षा अधीक्षक	..	34
3. जिला विद्यालय निरीक्षिका	..	31

(ग) अनुमंडल स्तर

1. अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी	..	66
2. क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी	..	33

4. इसके अतिरिक्त निदेशक, विभागाध्यक्ष, वाचक, प्राध्यापक, प्राचार्य एवं व्याख्याता निम्नांकित संस्थाओं में हैं :—

1. मिथिला संस्कृत शोध संस्थान, दरभंगा।
2. नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा।
3. प्राकृत एवं जैन शाखा शोध संस्थान, वैशाली।
4. काशी प्रसाद जयसवाल शोध संस्थान, पटना।
5. अरबी एवं फारसी शोध संस्थान, पटना।
6. बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना।
7. स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, पटना।
8. राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय।
9. राजकीय महिला महाविद्यालय।
10. जिला सर्वोदय विद्यालय।
11. प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (पुरुष एवं महिलाओं के लिए)।
12. बालिका उच्च विद्यालय।
13. मदरसा इसलामिया शमसुल हुदा, पटना।
14. राजकीय संस्कृत महाविद्यालय।
15. सुधार विद्यालय, हजारीबाग।
16. बाल सुधार अग्र केन्द्र, हजारीबाग।
17. राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, पटना।

पर्षद्

1. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।
2. मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना।
3. संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना।
4. विद्यालय सेवा बोर्ड, पटना।

5. राज्य सरकार ने अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों का नियंत्रण एवं प्रबंध अधिग्रहण कर लिया है। इसके फलस्वरूप प्रशासनिक संगठन में परिवर्त्तन किया जा रहा है। बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को विघटित कर दिया गया है।

6. निदेशालय स्तर पर राजपत्रित पदाधिकारियों की वार्षिक गोपनीय चारित्रियों के संधारण के लिए विशेष पदाधिकारी (गोपनीय कोषांग) के पद का सृजन किया गया है।

7. इसी प्रकार योजना संबंधी कार्य की देखरेख के लिए निदेशालय स्तर पर एक सहायक निदेशक (योजना) एवं इसके मोनिटरिंग के लिए सहायक निदेशक

(मोनिटरिंग) के पदों का सृजन किया गया है। साथ ही वार्षिक प्रतिवेदन के लिए सांख्यिकी एकत्रित कर उनके निर्माणार्थ सहायक निदेशक (सांख्यिकी) के पद की व्यवस्था की गयी है।

8. बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों की प्रोन्नति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए 20 अप्रील 1981 को आदेश सं० 871 द्वारा बिहार शिक्षा सेवा के पदों का अनुपात निर्धारित कर निम्नांकित कोटि के पद निम्नवत सृजित किये गये:—

पदों का वर्गीकरण	अनुपात कुल स्वीकृत बल का	पदों की कुल संख्या	स्थायी	अस्थायी
1	2	3	4	5
	प्रतिशत			
बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-I कनीय प्रवर कोटि (620—1,415 रु०)।	20	126	97	29
बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-I वरीय प्रवर कोटि (1,080—1,580 रु०)।	12½	79	61	18
1,34011,870 रु० के वेतनमान में।	2½	16	12	4
वेतनमान 2,000—2,300 एवं ,050—2,450 रु० में।	½	3	2	1
योग ..	35½	224	172	52

9. उपर्युक्त पदों पर प्रोन्नति की नियमावली बनाने एवं उनपर प्रोन्नति देने की प्रक्रिया जारी है। आशा है अगले वर्ष इस कार्य को पूरा कर लिया जायगा। अन्य रिक्त पदों के भरने की कार्रवाई प्रगति पर है।

10. लगभग 200 से अधिक पदाधिकारियों को इस वर्ष दक्षता अवरोध पार करने की अनुमति दी गयी एवं लगभग 75 पदाधिकारियों को सेवा में सम्पुष्ट किया गया। ऐसे लंबित मामलों के निष्पादन की कार्रवाई तेजी से की जा रही है।

11. विभाग के प्रशाखाओं का पुनर्गठन किया गया जिसके अनुसार सहायकों एवं प्रशाखा पदाधिकारियों का अनुपात 6:1 किया गया। प्रशाखाओं की संख्या 25 हो गयी है। इस आधार पर दो निबंधक के अतिरिक्त पद सृजित किये गये। निदेशक (उच्च शिक्षा), निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) एवं निदेशक (प्राथमिक शिक्षा) को प्रशाखा पदाधिकारी के वेतनमान में एक-एक सचिव का पद दिया गया जिससे दिनानुदिन के कार्य में उन्हें सहायता मिल सके।

12. सेवा संबंधी कई मुकदमें पटना उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों में चल रहे हैं। इनकी भली-भांति देखरेख के लिये एक विधि कोषांग का निर्माण किया गया है। इस कोषांग के लिये एक विधि पदाधिकारी का पद दो विधि सहायक के साथ सृजित किया गया है जिस पर नियुक्ति की कार्रवाई चल रही है।

इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की देखरेख के लिये उप-विद्यालय निरीक्षक, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/अवर विद्यालय निरीक्षक जैसे पदाधिकारी भी अवर शिक्षा सेवा में पदस्थापित किये गये हैं।

12-प्रकीर्ण

(क) पुस्तकालय सेवा

बिहार राज्य में निम्न प्रकार के पुस्तकालय संचालित हैं:—

(क) क्लासिफाइड पुस्तकालय ।	(1) राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय ।	सिंहा लाइब्रेरी, पटना ।
	(2) प्रमंडलीय पुस्तकालय-1	(i) भगवान पुस्तकालय, भागलपुर । (ii) लक्ष्मीश्वर पुस्तकालय, दरभंगा ।
	(3) जिला केन्द्रीय पुस्तकालय-24 ।	जिला मुख्यालयों में ।
	(4) अनुमंडलीय पुस्तकालय-25	अनुमंडलीय मुख्यालयों में ।
	(5) विशिष्ट पुस्तकालय-6	
	(6) प्रखंड पुस्तकालय-440	प्रखंड मुख्यालयों में ।
(ख) राज्य संचालित पुस्तकालय ।	(1) राज्य प्रमंडलीय पुस्तकालय-1 ।	रांची में ।
	(2) राज्य जिला पुस्तकालय-4	दुमका, चाईबासा धनबाद एवं पूर्णिया में ।
	(3) विशिष्ट भाषा भाषियों के लिये राजकीय उर्दू पुस्तकालय-1 ।	पटना में ।
(ग) ग्रामीण एवं अन्य शहरी पुस्तकालय ।	गैर-सरकारी तथा गैर-क्लासिफाइड पुस्तकालय —लगभग 4000 ।	

2. पुस्तकालय का उत्क्रमण ।—इसके अतिरिक्त जन-जाति क्षेत्र में अवस्थित राज्य पुस्तकालय, रांची का उत्क्रमण राज्य प्रमंडलीय पुस्तकालय के रूप में किया गया तथा वर्गीकर्त्ता-सह-सूचीकर्त्ता वर्ग का एक पद वेतनमान 296—460 रु० में सृजित किया गया । राज्य पुस्तकालय, दुमका, चाईवासा के विकास के क्रम में रात्रि प्रहरी के एक-एक पद सृजित किये गये ।

3. बिहार के छः श्रेष्ठतम पुस्तकालयों को विशिष्ट पुस्तकालय के रूप में घोषित किया गया जो निम्नांकित हैं:—

(1) ग्रेट पब्लिक लाइब्रेरी, गर्दनीबाग, पटना।
(2) प्रभावती महिला पुस्तकालय, कदमकुआं, पटना।
(3) गोपाल नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय, भरतपुरा, पटना।
(4) श्री हिन्दी पुस्तकालय, सोहसराय (नालन्दा)।
(5) ज्ञान निकेतन पुस्तकालय, सरसौनी चौक (सीतामढ़ी)।
(6) शारदा सदन पुस्तकालय, लालगंज (वैशाली)।

4. वित्तीय सहायता।—उपर्युक्त क्लासिफाइड एवं पुस्तकालयों के सुसंचालन के लिए राज्य सरकार प्रतिवर्ष पर्याप्त मात्रा में (1) स्थापना व्यय, (2) पुस्तक क्रय (3) उपस्कर तथा (4) भवन-निर्माण के लिये अनुदान देती है। इसके अतिरिक्त लगभग 4,000 अन-क्लासिफाइड सार्वजनिक पुस्तकालय ग्रामीण पुस्तकालय के रूप में संचालित हैं जिनका संचालन स्थानीय समिति द्वारा होता है। इन पुस्तकालयों को भी राज्य सरकार विभिन्न मदों में अनुदान देती है।

उपर्युक्त सभी कोटियों के पुस्तकालयों को 1981-82 में गैर-योजना एवं योजना मद से निम्नांकित अनुदान दिये गये हैं:—

(*i*) गैर-योजना मद (क) गैर-योजना मद में 1981-82 में कुल 12 लाख की स्वीकृति—(क) क्लासिफाइड पुस्तकालयों के स्थापना व्यय, (ख) पुस्तकों के केन्द्रीय क्रय, (ग) कूपन पद्धति से पुस्तक, (घ) भवन मरम्मति एवं (ङ) उपस्कर क्रय के लिये दी गयी। सिंहा लाइब्रेरी (राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय), पटना को स्थापना व्यय के लिए 3,50,000 रु० के अनुदान की स्वीकृति दी गयी। श्री कृष्ण सेवा सदन (जिला केन्द्रीय पुस्तकालय), मुंगेर के स्थापना व्यय के लिए 1,45,220 रु० के अनुदान की स्वीकृति दी गयी है। खुदाबक्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना को 50,000 रु० का अनुदान स्वीकृत किया गया, राजा राममोहन राय पुस्तकालय संस्थान, कलकत्ता को वर्ष 1981-82 में 2,00,000 रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया, क्योंकि उक्त 2,00,000 रु० के एवज में उक्त संस्थान द्वारा 4 लाख रुपये मूल्य की पुस्तकें बिहार के पुस्तकालयों को उपलब्ध कराई गयी।

(*ii*) योजना मद (ख) गैर जन-जाति क्षेत्र के पुस्तकालयों के विकास के लिए—(1) पुस्तक क्रय के मद में 3,74,000 रु० (2) उपस्कर

क्रय के मद में 1,23,000 रुपये तथा (3) भवन निर्माण के लिए 4,41,900 रुपये के अनुदान की स्वीकृति दी गयी है। अनुदान मात्र क्लासिफाइड पुस्तकालयों को ही दिये गये हैं।

गैर-जन-जाति क्षेत्र में अवस्थित राजकीय उर्दू लाइब्रेरी, पटना के सुसंचालन एवं विकास के लिए छः अराजपत्रित पदों का सृजन, अनुमानित व्यय 34,200 रु० पर किया गया।

जन-जाति क्षेत्र में अवस्थित पुस्तकालयों के विकास के लिये 2,26,300 रु० की स्वीकृति—(1) पुस्तकों के क्रय, (2) उपस्करों के क्रय एवं (3) भवन निर्माण के लिए दी गयी है। यह अनुदान सिर्फ क्लासिफाइड पुस्तकालयों को ही दिया गया है।

(ख) छात्रों को रियायती मूल्य पर पाठ्य-पुस्तक एवं अभ्यास पुस्तिका की आपूर्त्ति

छात्रों को रियायती मूल्य पर पाठ्य पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका एवं उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार से अप्रील, 1981 से मार्च, 1982 की अवधि में निम्नांकित तिमाहियों में विभिन्न मदों में राज्य सरकार को इस प्रकार कागज का आवंटन प्राप्त हुआ :—

1981-82

तिमाही का नाम ।	अभ्यास पुस्तिका ।	पाठ्य पुस्तक ।	प्राइवेट पब्लिशर्स ।	परीक्षा ।	वयस्क शिक्षा ।	कुल ।
1	2	3	4	5	6	7
अप्रील——जून, 1981	1,000	2,110	80	60	..	3,250
जुलाई——सितम्बर, 1981	1,320	526	(टेक्स्ट बुक एवं प्राइवेट पब्लिशर्स दोनों मदों के लिए एक साथ प्राप्त 526 टन।)	97	..	1,943
अक्टूबर——दिसम्बर, 1981	1,120	887	65	295	30	2,397
जनवरी——मार्च, 1982	1,550	585	45	120	53	2,350

राज्य स्तरीय कागज वितरण एवं नियंत्रण समिति द्वारा बिहार टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कारपोरेशन, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार इन्टरमीडियेट परीक्षा परिषद्, विभिन्न विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान, प्राइवेट पब्लिशर्स तथा अभ्यास पुस्तिका निर्माता को उपरोक्त कागज रियायती दर पर मिलों से प्राप्त कर पाठ्य पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका एवं उत्तर पुस्तिका तैयार कर छात्रों को उपलब्ध कराया जाता है। पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम के माध्यम से माध्यमिक स्तर तक छात्रों को पढ़ने के लिए पुस्तकें मुद्रित कर रियायती दर पर उपलब्ध कराई जाती हैं। विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों को पढ़ने के लिए प्राइवेट पब्लिशर्स द्वारा पुस्तकें रियायती कागज पर मुद्रित कर रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

अभ्यास पुस्तिका

अभ्यास पुस्तिका निर्माता आवंटित कागज मिलों से सीधे प्राप्त कर वैशाली अभ्यास पुस्तिका का निर्माण करते हैं। निर्मित वैशाली अभ्यास पुस्तिका बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक निगम द्वारा नहीं क्रय किये जाने एवं प्रचुर मात्रा में अभ्यास पुस्तिका रहने के बावजूद भी छात्रों को सुलभ ढंग से प्राप्त नहीं हो रही थी जिसके लिये सरकार काफी चिन्तित थी। छात्रों को वैशाली अभ्यास पुस्तिका सुलभ ढंग से उपलब्ध हो जाय इस संबंध में वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ एवं व्यवस्थित करने के दृष्टिकोण से राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि अभ्यास पुस्तिका निर्माता अभ्यास पुस्तिका निर्माण कर 10 प्रतिशत की छूट पर पाठ्य पुस्तक विक्रेता एवं जन वितरण प्रणाली के दूकानदार को आपूर्त्ति करेंगे। पाठ्य-पुस्तक विक्रेता एवं जन वितरण प्रणाली के दूकानदार अभ्यास पुस्तिका पर मुद्रित मूल्य के आधार पर अपने काउन्टर से जन साधारण को उपलब्ध करायेंगे। संबंधित आदेश दिनांक 21 जनवरी 1982 को निर्गत किया गया और इस आशय की सूचना सर्वसाधारण को जानकारी के लिये दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई। ऐसी व्यवस्था जब से की गई है जन साधारण को वैशाली अभ्यास पुस्तिका सुलभ ढंग से उपलब्ध होने लगी है और जन साधारण की शिकायत बहुत हद तक समाप्त हो गई है। रियायती कागज एवं अभ्यास पुस्तिका का दुरुपयोग न हो इस संबंध में जिला प्रशासन को कड़ी निगरानी रखने के लिये अनुरोध किया गया है। रियायती दर के कागज में केन्द्र सरकार ने प्रति टन 700 रुपए की वृद्धि की है और केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित पुनरीक्षित मूल्य को राज्य सरकार ने भी अपने पत्रांक 79, दिनांक 20 मार्च 1982 द्वारा लागू किया है और अब छात्रों को पुराने मूल्य के बदले निम्नांकित मूल्य पर अभ्यास पुस्तिका प्राप्त हो रही है :—

अभ्यास पुस्तिका (पृष्ठावार)		पुराना दर		नया लागू दर
64 पृष्ठ अनबाउन्ड	..	35 पैसे प्रति	..	50 पैसे प्रति।
96 पृष्ठ बाउन्ड	..	85 पैसे प्रति	..	100 पैसे प्रति।
192 पृष्ठ बाउन्ड	..	150 पैसे प्रति	..	175 पैसे प्रति।
72 पृष्ठ आवलांग	..	80 पैसे प्रति		110 पैसे प्रति।

फिर भी अनियंत्रित मूल्य के कागज से निर्मित अभ्यास पुस्तिका के मूल्य से रियायती दर पर प्राप्त कागज से निर्मित अभ्यास पुस्तिका का मूल्य काफी कम है।

प्राइवेट पब्लिशर्स

प्राइवेट पब्लिशर्स द्वारा रियायती दर पर प्राप्त कागज पर जो पुस्तक मुद्रित की जाती है सर्वप्रथम मुद्रित पुस्तक की एक प्रति पब्लिशर द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया जाता है और विभाग द्वारा पुस्तक पर प्रकाशित अंकित मूल्य की समीक्षा की जाती है तदोपरांत ही बाजार में छात्रों के बीच उपलब्ध कराने का आदेश विभाग द्वारा दिया जाता है।

(ग) बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कारपोरेशन लिमिटेड

बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कारपोरेशन लिमिटेड, पटना एक स्वशासी संस्था है जो राष्ट्रीयकृत विद्यालीय पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन एवं विपणन करता है। यह एक सरकारी उपक्रम है। इसकी प्राधिकृत पूंजी 1.50 करोड़ एवं अभिदत्त पूंजी 11.25 लाख रुपए है। इसका एक निदेशक पर्षद् है जिसके अध्यक्ष, श्री बी० के० दूबे, शिक्षा आयुक्त, बिहार हैं। श्री बी० एन० सिंह, कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक हैं।

1981-82 वित्तीय वर्ष में कारपोरेशन ने वर्ग 1 से 3 के सभी छात्र/छात्राओं तथा वर्ग 4 एवं 5 के सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिये निःशुल्क वितरण हेतु 1 करोड़ 41 लाख 76 हजार पुस्तकों का मुद्रण कराया। इसके अतिरिक्त वर्ग 4 से 10 तक के छात्रों के लिय बिक्री हेतु 1 करोड़ 75 लाख पुस्तकों का मुद्रण कराया गया। निःशुल्क पुस्तकों का वितरण बिहार राज्य शिक्षक सहयोग संघ के माध्यम से शिक्षा विभाग कराता है।

बिक्री की पुस्तकों के लिये राज्य के सभी जिलों एवं कुछ अनुमंडलों के लिये कुल 95 थोक विक्रेताओं की नियुक्ति की गयी है। ये थोक विक्रेता अपने क्षेत्रों में खुदरा विक्रेताओं की नियुक्ति स्वयं करते हैं, जिनके माध्यम से पुस्तकों की खुदरा बिक्री होती है। कारपोरेशन थोक विक्रेताओं को 16 प्रतिशत कमीशन देता है जिसमें से वे 12½ प्रतिशत कमीशन खुदरा विक्रेताओं को देते हैं।

आलोच्य वर्षों के प्रारंभिक कुछ महीनों को छोड़ शेष महीनों में कारपोरेशन में सामान्य स्थिति रही है जिससे अपने प्रेस के उत्पादन में संतोषजनक वृद्धि हुयी। 1980-81 में सामान्य क्षमता का 39.5 प्रतिशत उत्पादन हुआ था परन्तु 1981-82 में सामान्य क्षमता का 62.6 प्रतिशत उत्पादन हुआ है। कारपोरेशन के अपने प्रेस में कार्यवाहक प्रबंधक एवं उत्पादन प्रबंधक के अतिरिक्त तीन पदाधिकारी एवं 211 कर्मचारी हैं।

इस वर्ष 8 करोड़ 46 लाख रुपए सकल मूल्य के पुस्तकों की बिक्री हुई है। आय-कर देने के पूर्व अनुमानित लाभ लगभग 70 लाख रुपए होने की आशा है। गत पांच वर्षों के लाभ का ब्यौरा निम्नांकित है :—

वर्ष		बिक्री सकल मूल्य (करोड़ रुपए में)	लाभ (लाख रुपए में)
1977-78	..	4.20	66.50
1978-79 ..	..	3.78	88.23

वर्ष			विक्री सकल मूल्य (करोड़ रुपए में)		लाभ (लाख रुपये में)	
1979-80	..	..	2.64	लगभग	123.00	लगभग
1980-81	..	..	4.30		60.00	
1981-82	..	..	8.46		70.00	

1980-81 एवं 1981-82 वर्ष में पिछले वर्षों की अपेक्षा बिक्री के सकल मूल्य में वृद्धि के बावजूद लाभ में कमी हुई है, इसकी वजह यह है कि नयी पुस्तकों के मूल्य में प्रति फर्मा 5 पैसे की कमी की गयी है। साथ ही कागज एवं मुद्रण की अन्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हुई है और राज्य सरकार ने बिक्री पर 10 प्रतिशत रायल्टी लगा दी है।

निगम के प्रांगण में स्थित अपने भंडार का क्षेत्रफल 20,000 वर्ग फीट है। इसके अतिरिक्त सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के गोदाम में भी 19,500 वर्गफीट जगह भाड़े पर ली गयी है, जहां पुस्तकें और कागज रखा जाता है। कारपोरेशन की बिक्री शाखा एवं भंडार के प्रभारी क्रमशः बिक्री पदाधिकारी एवं गोदाम व्यवस्थापक हैं।

कारपोरेशन की प्रकाशन शाखा में शैक्षिक निबंधक पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य प्रबंध निदेशक की देख-रेख में करते हैं। वित्तीय सलाहकार, सचिव एवं कार्मिक पदाधिकारी आर्थिक एवं प्रशासनिक मामलों में प्रबंध निदेशक को सहयोग करते हैं।

(घ) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

यह समिति संपूर्ण राज्य में माध्यमिक परीक्षा का संचालन करती है। शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा एवं प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा एवं शारीरिक शिक्षा में सर्टिफिकेट परीक्षा का संचालन अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना करती है। 1952 में इस समिति की स्थापना हुई थी। समिति में एक अध्यक्ष एवं 7 सचिव-सह-सदस्य हैं। जिनका कार्यकाल सामान्यत: 3 वर्ष का होता है। बिहार शिक्षा सेवा के एक पदाधिकारी परीक्षा समिति के सचिव पद पर पदस्थापित रहते हैं।

स्थापना के वर्ष में माध्यमिक परीक्षा में करीब 33,000 परीक्षार्थी सम्मिलित थे।उक्त संख्या 1982 वर्ष में वृद्धि पाकर करीब 3 लाख हो गयी है। 1,35,961 छात्र 1981 वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं जबकि 1981 वर्ष में सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या 2,37,849 थी।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आर्थिक दृष्टि से आत्म-निर्भर है। परीक्षार्थियों से मिलने वाला शुल्क ही इसकी आय का एक मात्र स्रोत है। सरकार की ओर से कोई अनुदान परीक्षा समिति को नहीं दिया जाता है। वर्ष 1981-82 में कुल आय, 2,65,20,000.00, कुल व्यय 2,91,19,900.00 हुआ है जो पहले की बचत से वहन किया जाएगा। समिति के कुल कर्मचारियों की संख्या 925 है। अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त 21 अन्य पदाधिकारी एवं 53 प्रशाखा पदाधिकारी हैं।

माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर छात्रों की उपलब्धि का सम्यक मूल्यांकन परीक्षा समिति का उद्देश्य रहा है। शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार करने का प्रयास भी समिति करती रही है। समिति की ओर से प्रश्नपत्र अधिकोष की स्थापना की गयी है एवं प्रश्न-पत्र के ढांचे में विशेष परिवर्त्तन का प्रयास भी किया गया है।

कदाचार रहित परीक्षा संचालन एवं उचित मूल्यांकन की दिशा में समिति ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं :—

(1) जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ है जिसकी अनुशंसा के आधार पर परीक्षा केन्द्र का चयन एवं विद्यालयों का 'टैगिंग' निश्चित किया जाता है।

(2) प्रश्न पत्रों की गोपनीयता के निमित्त बैंक, और जहां बैंक न हो वहां प्रखंड कोषागार में प्रश्न-पत्र रखने की व्यवस्था की जाती है। जहां से प्रतिदिन परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पहले प्रश्न पत्र के पाकेट केन्द्राधीक्षक प्राप्त कर लाते हैं।

(3) प्रत्येक जिला के लिये एक मुख्य पर्यवेक्षक और प्रत्येक केन्द्र के एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावे 4-5 केन्द्रों के एक-एक समूह पर एक-एक चलंत टोली का गठन किया जाता है जो परीक्षा की अवधि में भिन्न-भिन्न केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण करते हैं। जिला प्रशासन की मदद से प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर आरक्षी दल की व्यवस्था की जाती है और दंडाधिकारियों को पेट्रोलिंग पार्टी भी रहती है।

(4) पिछले वर्षों की भांति उत्तर पुस्तिकाओं का केन्द्रीय मूल्यांकन कराया गया है जिसमें मूल्यांकन में एकरूपता हो और समय पर मूल्यांकन का कार्य पूरा हो जाय।

(5) विगत वर्षों की भांति परीक्षाफल कम्प्यूटर से तैयार करवाया गया जिसके कारण समय पर परीक्षाफल प्रकाशन तथा विद्यालयों को छात्रों के प्राप्तांक एवं प्रमाण-पत्र यथासमय उपलब्ध कराने में सहूलियत हुयी है।

(6) राष्ट्रीय शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अनुसंधान, नई दिल्ली के मार्ग दर्शन में कई कर्मशालाएं एवं गोष्ठियां परीक्षा समिति द्वारा आयोजित की गयी हैं। इन गोष्ठियों में विचार-विमर्श के फलस्वरूप प्रश्न-पत्रों में वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता लाने के उद्देश्य से कई प्रकाशन समिति की ओर से निर्गत किये गए हैं। प्रश्न पत्र एवं प्रारुप एवं प्रश्न पत्र अधिकोष नामक पुस्तिका 3 भागों में प्रकाशित की गयी है। जो शिक्षकों एवं छात्रों के लिये मार्ग-दर्शिका का काम कर रही है। अध्ययन एवं अध्यापन को सुनियोजित करने के उद्देश्य से प्रत्येक विषय में यूनिट टेस्ट आईटम्स को पुस्तक के रूप में प्रकाशित की गयी है।

सफल परीक्षार्थियों एवं परीक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिये विभिन्न पारितोषिक दिये गए हैं। नए पाठ्य-क्रम एवं पुराने पाठ्यक्रम के परीक्षार्थियों को एक समारोह में पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया है।

परीक्षा के क्षेत्र में और सुधारात्मक कार्रवाई के संबंध में परीक्षा समिति ने योजना बनायी है जो अब शीघ्र ही कार्यान्वित की जाने वाली है।

बि०स०मु० (शिक्षा) 1—मो०एल०—2,000—4-6-1982—रा०ना०सिन्हा

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, ... 110016
DOC. No. D-1035
Date: ...